वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024 - 2025

आईएसपीआरएल
ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited
(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India

आईएसपीआरएल की वार्षिक सामान्य बैठक

आईएसपीआरएल ने मैंगलोर कैवर्न को पट्टे पर देने के लिए एमआरपीएल के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी – व्यावसायीकरण की दिशा में एक और नई पहल

आईएसपीआरएल
ISPRL

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25

विषय सूची / CONTENTS

क्रं. सं./ No.	विषय/SUBJECT	पृष्ठ संख्या/PAGE No.
1.	**अध्यक्ष का संदेश** Chairman's Message	05 101
2.	**निदेशकों का संक्षिप्त परिचय** Brief Profile of Directors	06 102
3.	निदेशक मंडल Board of Directors	10 106
4.	कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन Corporate Information	11 107
5.	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	12 108
6.	स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	38 135
7.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)	51 148
8.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	52 149
9.	वार्षिक लेखा 2024–25 Annual Accounts 2024-25	57 154
10.	कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी Corporate Information & Material Accounting Policy Information	93 190

पंकज जैन
सचिव
Pankaj Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
कर्तव्य भवन-3, जनपथ,
नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
Kartavya Bhavan - 3, Janpath,
New Delhi-110001
Tel. : 011-24011201, 011-24011202
E-mail : sec.png@nic.in

09 अक्टूबर, 2025

निदेशक मंडल की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।

आईएसपीआरएल की स्थापना हमारे देश के भावी ऊर्जा की सुरक्षा के महत्वपूर्ण अधिदेश से की गई थी। भारत सरकार और हमारे हितधारकों के विश्वास के साथ-साथ आईएसपीआरएल समुत्थानशील और दूरदर्शी संगठन के रूप में उभरकर आया है, जो गतिशील ऊर्जा परिदृश्य के अनुरूप है।

इस विश्वस्तरीय चरण-I अवसंरचना ने अप्रत्याशित आपूर्ति व्यवधानों से निपटने की देश की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से संवर्धित किया है। आंशिक व्यावसायीकरण के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आईएसपीआरएल ने स्ट्रेटजिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है। जनवरी 2024 से राजस्व जुटाना शुरू की गई थी।

हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आईएसपीआरएल के बढ़ते वैश्विक ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की यात्रा के दौरान, वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित मौजूदा स्टोरेज एवं मैनेजमेंट करार को नवीनीकृत करने और सहयोग का विस्तार करने के लिए एडनोक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापक विचार-विमर्श के बाद दिनांक 09 मई 2025 से प्रभावी, दूसरे संशोधित और पुनर्निर्धारित ऑइल स्टोरेज एवं मैनेजमेंट करार पर दिनांक 26 जून 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे एडनोक को दीर्घकालिक स्ट्रेटेजिक साझेदार के रूप में पुनः स्थापित किया गया।

चरण-II के अंतर्गत हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के विस्तार को और उन्नत करते हुए, आईएसपीआरएल ने अतिरिक्त एसपीआर क्षमता के विकास के लिए एलओए जारी किया है।

प्रचालन उत्कृष्टता हमारी निर्णायक शक्ति रही है। आईएसपीआरएल उच्चतम स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) के मानकों को कायम रखते हुए, किसी भी स्थल पर कोई दुर्घटना न घटित होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है जो हमारी समूह की निष्ठापूर्वक समर्पण को दर्शाती है।

मैं अपने शेयरधारकों, तेल उद्योग विकास बोर्ड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन एवं समर्थन हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ।

जैसे-जैसे आईएसपीआरएल प्रगति कर रहा है और हम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता पर निरंतर कार्यरत हैं। मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, हमारा संपूर्ण ध्यान देश के लिए सुरक्षित और संधारणीय ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने पर संकेंद्रित है।

पं. जै.

[पंकज जैन]

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

अध्यक्ष

श्री पंकज जैन

श्री पंकज जैन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको राष्ट्रीय और राज्य सरकारों में शासन के साथ–साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन में व्यापक अनुभव प्राप्त है। इसमें तेल और प्राकृतिक गैस, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग और संस्थागत वित्त), उद्योग, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका और एमएसएमई के क्षेत्र शामिल हैं।

आपको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र, बैंकों, विकास वित्त संस्थानों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों, बीमा कंपनियों, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, एक गारंटी कंपनी और विनियामक/पर्यवेक्षी निकायों में बोर्ड में अध्यक्ष/निदेशक के रूप में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

निदेशक

श्री प्रवीण एम. खनूजा

श्री प्रवीण एम. खनूजा वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। आप केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स में एम.टेक हैं। आप भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईए एंड एएस) के 1994 बैच से हैं और आपने रक्षा लेखा परीक्षा, रेलवे लेखा परीक्षा, राज्य सरकार लेखा और लेखा परीक्षा में बहुत–से क्षेत्रों और सीएजी मुख्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

आपने एफएओ, रोम; डब्ल्यूआईपीओ, जिनेवा; डब्ल्यूटीओ, स्पेन; जीएफएमडी, जिनेवा और यूनिटैड, जिनेवा की अनुपालन और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा भी आयोजित की हैं। आप वर्ष 2018–2019 के दौरान जापान, थाईलैंड और तुर्की में विभिन्न एशियाई देशों के एसएआई अधिकारियों के लिए आईटी लेखापरीक्षा में मेंटॉर भी रहे हैं। आपने नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के सीएजी/भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है।

आपने पूर्व में विभिन्न प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियोजन समनुदेशों पर राजस्व विभाग और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के लिए निदेशक (वित्त); स्टेट ऑडिट इंस्टीट्यूट, ओमान सल्तनत, मस्कट में विशेषज्ञ, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में अपर महानिदेशक और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

निदेशक

सुश्री कामिनी चौहान रतन

सुश्री कामिनी चौहान रतन, वर्ष 1997 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। आप जेडीएमसी से कॉमर्स में स्नातक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.कॉम (पी) पाठ्यक्रम में टॉपर हैं। आपने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एलएलबी और भोज ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल से एलएलएम भी किया है।

सेवा के शुरुआती वर्षों में आप आगरा, अयोध्या और लखनऊ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं। आपने मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य किया है और जिले में कई विकास गतिविधियों की शुरुआत की है। अंतर–राज्यीय कैडर प्रतिनियुक्ति पर, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में सेवा की और महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। आपने सुल्तानपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत और मेरठ में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। आपको भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

आप उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त, महानिरीक्षक (पंजीकरण) एवं स्टाम्प आयुक्त, आयुक्त (वाणिज्यिक कर) एवं आयुक्त (मनोरंजन कर) के पद पर विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।

आपने उत्तर प्रदेश राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव, सचिव (वित्त) और सचिव (ग्रामीण विकास) के रूप में कार्य किया है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रधान स्टॉफ अधिकारी के रूप में भी सहायता प्रदान की है।

आपने शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आप वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं।

आप बीपीसीएल के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं और वर्तमान में गेल (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

निदेशक

सुश्री ईशा श्रीवास्तव

सुश्री ईशा श्रीवास्तव 2004 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। आप वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग की संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

भारत के विदेश मंत्रालय के अलावा, उन्होंने थिम्पू, पेरिस, कोलंबो में दूतावासों/भारतीय उच्चायोग और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भी कार्य किया है।

सुश्री श्रीवास्तव, लेडी श्री राम कॉलेज, नई दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता भी हैं।

आपका विवाह श्री कार्तिक पांडे से हुआ है, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी हैं। आपके दो बच्चे हैं।

आप वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। वह ओवीएल में परियोजना मूल्यांकन समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सदस्य हैं।

निदेशक

सुश्री वर्षा सिन्हा

सुश्री वर्षा सिन्हा एमए (राजनीति शास्त्र) और आपके पास पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा, लोक प्रशासन में पीजी डिप्लोमा और एम.फिल (सामाजिक विज्ञान) की उपलब्धियां हैं।

भारत सरकार में सेवाभार ग्रहण करने से पहले, आपने लगभग चार वर्षों की अवधि के लिए पटना दूरदर्शन में उद्घोषक और कम्पेयर के रूप में कार्य किया। सुश्री सिन्हा ने ओडिसी नृत्य में नृत्य विशारद और नृत्य शिरोमणि भी प्राप्त किया है।

सुश्री वर्षा सिन्हा केंद्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी हैं। अपने ढाई दशक से अधिक के कैरियर के दौरान, आपने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपको भारत सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार महानिदेशालय) और दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। ओआईडीबी में सेवाभार ग्रहण करने से पहले, आप भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थीं और स्थापना अधिकारी प्रभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संभाल रही थीं।

आपने 1 दिसंबर, 2022 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल उद्योग विकास बोर्ड में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आईएसपीआरएल के बोर्ड में निदेशक, डीजीएच की प्रशासनिक परिषद के सदस्य, पीपीएसी, ओआईएसडी, सीएचटी की शासी परिषद/निकाय में सदस्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

श्री एल. आर. जैन

श्री एल. आर. जैन 31 अक्टूबर, 2022 से इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ और एमडी) हैं। आईएसपीआरएल भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रयोजन व्हीकल है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे विशेष रूप से देश के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के निर्माण और संचालन के लिए बनाया गया है।

आप बीआईटीएस पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एसपीजेआईएमआर से एमबीए (पीजीईएमपी) हैं और आप भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल में परियोजनाओं के निष्पादन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों और पीओएल अधिष्ठापनों की खरीद और संचालन में चार दशकों से अधिक का विशाल अनुभव रखते हैं।

आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, आप प्रभारी कार्यकारी निदेशक के रूप में बीपीसीएल के विपणन प्रभाग की इंजीनियरिंग और परियोजना (ईएंडपी) इकाई का नेतृत्व कर रहे थे और देश भर में ग्रीन फील्ड एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स/विमानन स्टेशन/पीओएल टर्मिनल/तटीय क्रायोजेनिक सुविधाओं/2जी/1जी इथेनॉल रिफाइनरी सहित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे।

श्री जैन ने वर्ष 2019 से कांडला–गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन लगाने के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के संयुक्त उद्यम मैसर्स आईएचबी के निदेशक का पद भी संभाला और इस परियोजना का नेतृत्व किया, जो भली–भांति प्रगति पर है।

बीपीसीएल में आपके द्वारा संभाले गए अन्य नेतृत्व पदों में कार्यकारी निदेशक (सीपीओ) के रूप में बीपीसीएल के विपणन प्रभाग के केंद्रीय खरीद संगठनों का नेतृत्व करना शामिल है, जो इथेनॉल सहित लगभग ₹ 8000 करोड़ मूल्य के गैर–हाइड्रोकार्बन माल और सेवाओं की खरीद के लिए जिम्मेदार है। आपने बीपीसीएल के पाइपलाइन प्रभाग का भी नेतृत्व किया, जो बीपीसीएल के लगभग 3000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क के संचालन और विभिन्न ग्रीनफील्ड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है।

निदेशक मंडल

श्री पंकज जैन	अध्यक्ष
श्री प्रवीण एम. खनूजा	निदेशक
सुश्री कामिनी चौहान रतन	निदेशक
सुश्री ईशा श्रीवास्तव	निदेशक
सुश्री वर्षा सिन्हा	निदेशक
श्री एल. आर. जैन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री दीपक श्रीवास्तव, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं सीवीओ, आईएसपीआरएल

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

1. **श्री गोपेश्वर कुमार सिंह** — **(04.05.2024 तक)**
   मुख्य वित्त अधिकारी

2. **श्री अजय दशोरे** — **(15.05.2024 से 09.06.2024 तक)**
   मुख्य वित्त अधिकारी

3. **श्री दीपक कुमार** — **(10.06.2024 से)**
   मुख्य वित्त अधिकारी

4. **सुश्री शिल्पी मोहन्ती**
   कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन

कम्पनी का नाम	:	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
सिन	:	U63023DL2004PLC126973
पंजीकृत कार्यालय	:	301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001
वेबसाइट	:	www.isprlindia.com
ई–मेल	:	company-secy@isprlindia.com
फोन नं.	:	011-23412278

मुख्य कार्यालय और इकाइयाँ

प्रशासनिक कार्यालय
ओआईडीबी भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट सं. 2, सेक्टर-73, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
फोन नं. : 91-120-2594661, फैक्स नं.: 91-120-2594643
ई–मेल : isprl@isprlindia.com | वेबसाइट : www.isprlindia.com

आईएसपीआरएल मैंगलोर एसपीआर साइट
चंद्रहास नगर, कलावर डाकघर, बाजपे वाया,
मंगलुरु–574142

आईएसपीआरएल पादुर एसपीआर साइट
डाकघरः पादुर, वाया कापू, जिला उडुपी – 574106,
कर्नाटक

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम एसपीआर साइट
लोवागार्डन, एचएसएल फैब्रिकेशन यार्ड के पीछे,
गांधीग्राम डाकघर, विशाखापत्तनम – 530005

वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

श्री अतुल गुप्ता, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान कार्यालय, नोएडा

श्री आर. संकरनारायणन, हैड–साइट, मंगलोर

श्री के. विजय कुमार, हैड–साइट, विशाखापत्तनम

श्री जी. के. युवराज, हैड–साइट, पादुर

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स आर.एन. मारवाह एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

सचिवालीय लेखा परीक्षक

मैसर्स पीजी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली

बैंकर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एम–41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकरण पर 21वीं वार्षिक रिपोर्ट, और उसके साथ लेखापरीक्षित लेखा विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

I. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	सकल अचल परिसंपत्ति (मूर्त और अमूर्त) घटाएँ: – संचित मूल्यह्रास	3,74,768.05 78,719.66	3,73,773.71 68,404.72
निवल अचल परिसंपत्ति		**2,96,048.39**	**3,05,368.99**
2 3	कुल गैर–चालू परिसंपत्तियाँ कुल चालू परिसंपत्तियाँ	40,601.00 17,137.16	27,007.06 34,798.82
कुल परिसंपत्ति (1+2+3)		**3,53,786.55**	**3,67,174.87**
4 5 6	संचित हानि सहित कुल इक्विटी कुल गैर–चालू देयताएँ कुल चालू देयताएँ	3,01,948.02 771.21 51,067.32	3,06,967.08 582.04 59,625.75
कुल देयताएं (4+5+6)		**3,53,786.55**	**3,67,174.87**
लाभ और हानि खाते की मदें			
क्रम सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2025**	**31 मार्च, 2024**
1 2	प्रचालन से राजस्व अन्य आय	5,030.93 13,523.15	1,047.74 14,532.98
(क) कुल आय (1+2)		**18,554.08**	**15,580.72**
3 4	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (मूल्यह्रास को छोड़कर)	9,955.40 13,549.15	9,902.36 14,542.94
(ख) कुल व्यय (3+4)		**23,504.55**	**24,445.30**
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (ग) = (क–ख)		**(4,950.47)**	**(8,864.58)**
अन्य व्यापक आय (घ)		**5.50**	**(5.36)**
कुल व्यापक आय (हानि) (ग+घ)		**(4,944.97)**	**(8,869.94)**

चरण II (प्राप्तियां और व्यय)			
क्रम सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2025**	**31 मार्च, 2024**
1	**परियोजना–पूर्व गतिविधि के लिए :–** वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	44.94	298.81
2	संदेय राशि के प्रावधान सहित वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	39.77	शून्य
3	**भूमि खरीद हेतु :–** वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	1,725.00	शून्य
4	संदेय राशि के प्रावधान सहित वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	3,012.43	7,821.29
मैंगलोर एमएसईजेड में चरण-I विस्तार (प्राप्तियां और व्यय)			
क्रम सं.	**विवरण**	**31 मार्च, 2025**	**31 मार्च, 2024**
1	**भूमि खरीद हेतु :–** भूमि के लिए अग्रिम सहित वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान (निवल आधार पर)	5,000.00	4,000.00
2	वर्ष के दौरान किया गया कुल व्यय	9,000.00	2,069.39

II. कंपनी के कार्यों की स्थिति

क. प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) ने देश की ऊर्जा सुरक्षा के स्ट्रेटेजिक उद्देश्य को पूरा करने के हित में, 7 जनवरी, 2004 को तीन स्थानों पर 5 एमएमटी के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) बनाने का निर्णय लिया और कच्चे तेल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के निर्माण और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने का गठन किया। चूंकि भारत विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और अपने नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए इन एसपीआर की परिकल्पना, विशेष रूप से बाहरी कारणों से बड़े वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कच्चे तेल के रिजर्व्स के बफर के रूप में की गई थी।

एसपीआर सुविधाओं के सृजन के लिए भारत सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी), इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की स्थापना 16 जून, 2004 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

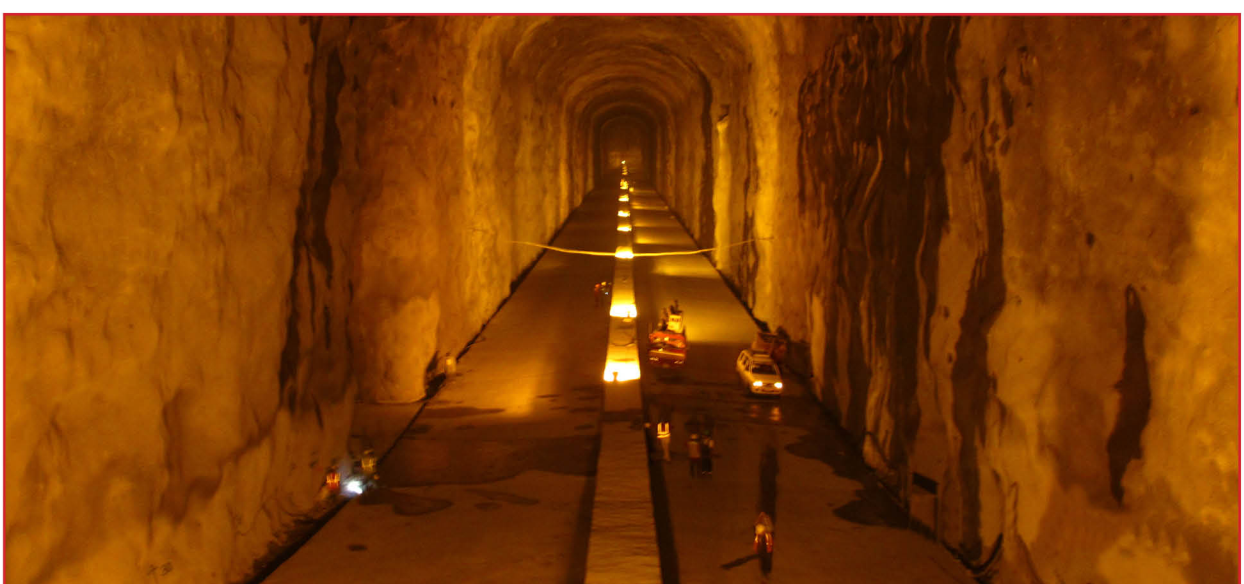

पादुर के भूमिगत कच्चे तेल भंडारण का रॉक कैवर्न दृश्य

लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। तदोपरांत 09 मई 2006 को आईएसपीआरएल, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

एसपीआर कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत, आईएसपीआरएल ने तीन स्थानों, अर्थात् आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी) और कर्नाटक में मैंगलोर (1.5 एमएमटी) एवं पादुर (2.5 एमएमटी) पर 5.33 एमएमटी क्षमता वाले कच्चे तेल के भूमिगत शैल कैवर्न्स का निर्माण पूरा किया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 10 फरवरी 2019 को ये एसपीआर राष्ट्र को समर्पित किए गए।

21 जनवरी, 2025 को आयोजित 95वीं बोर्ड बैठक

ख. एडनोक के साथ करार

10 फरवरी 2018 को एडनोक और आईएसपीआरएल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे एडनोक को मैंगलोर स्थित एक कैवर्न का उपयोग करने की अनुमति मिली। समझौते के अनुसार, एडनोक ने वर्ष 2018 में आईएसपीआरएल के मैंगलोर कैवर्न में लगभग 5.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल भरा। एडनोक इस तेल के 50% हिस्से का उपयोग भारत में अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक आपूर्ति के रूप में कर सकता है, जबकि शेष ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के रूप में रहेगा, जिसे प्राकृतिक आपदा या भू–राजनीतिक कारकों के कारण आपूर्ति में व्यवधान जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर जारी किया जाएगा।

एडनोक और आईएसपीआरएल के बीच समझौते की शर्तों के अनुसार, एडनोक ने दिसंबर 2019 में एचपीसीएल, विशाखापत्तनम को अपनी पहली वाणिज्यिक खेप सफलतापूर्वक भेजी। इसके बाद से, एडनोक नियमित रूप से मैंगलोर एसपीआर से विभिन्न भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की खेप की बिक्री कर रहा है और संविदा की शर्तों के अनुसार पुनःपूर्ति कर रहा है।

डीजीएफटी द्वारा 23 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना में आईएसपीआरएल मैंगलोर कैवर्न–ए से कच्चे तेल के पुनर्निर्यात की अनुमति दी गई। इसके बाद, मैसर्स एडनोक को पुनर्निर्यात की अनुमति देने के लिए मैसर्स एडनोक के साथ एक साइड लेटर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

आईएसपीआरएल ने आपसी चर्चा के बाद, मैंगलोर के लिए मौजूदा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 में एडनोक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, एडनोक ने विशाखापत्तनम कैवर्न–ए में कच्चे तेल के भंडारण में अपनी रुचि व्यक्त की।

मैंगलोर (भंडारण क्षमताः 1.5 एमएमटी)

दूसरे संशोधित समझौते और पुनर्घोषित तेल भंडारण एवं प्रबंधन समझौते पर 26 जून 2025 को हस्ताक्षर किए गए, जिसकी प्रभावी तिथि 9 मई 2025 है।

ग. आंशिक व्यवसायीकरण

कैबिनेट ने 8 जुलाई 2021 को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (एसपीआर) के पहले चरण के तहत बनाए गए पेट्रोलियम रिजर्व्स के एक हिस्से का उपयोग व्यावसायीकरण कार्यों के लिए करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी।

आईएसपीआरएल ने किराये के लिए स्थान बनाने हेतु अगस्त 2021 से जून 2023 तक सरकारी रिफाइनरियों एचपीसीएल और एमआरपीएल को कच्चा तेल जारी किया। आईएसपीआरएल ने कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व के रूप में भारत सरकार के भारत–कोष खाते में 5372 करोड़ रुपये की संचयी राशि जमा की।

आंशिक व्यावसायीकरण की दिशा में पहले कदम के रूप में, आईएसपीआरएल ने 19 जनवरी, 2024 से विशाखापत्तनम में एचपीसीएल को 300 टीएमटी (2.17 मिलियन बीबीएल) कैवर्न क्षमता किराए पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ एक करार किया है। 7 फरवरी, 2024 को गोवा में आईईडब्ल्यू 2024 में आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक तथा एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (आईटी) द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव, ओआईडीबी के सचिव, एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आईएसपीआरएल एवं एचपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति में एक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। पट्टे पर दी गई क्षमता का उपयोग एचपीसीएल द्वारा बसरा मीडियम क्रूड ऑयल के भंडारण के लिए किया जा रहा है। किसी आपात स्थिति में, इस कच्चे तेल के उपयोग पर भारत सरकार का पहला अधिकार होगा। इसके साथ ही आईएसपीआरएल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम उठाते हुए राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है।

घ. एसपीआर के प्रचालन

आपकी कंपनी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में एसपीआर के संचालन और अनुरक्षण के संबंध में मुख्य बातें नीचे दी गई हैंः

i. विशाखापत्तनम (भंडारण क्षमताः 1.33 एमएमटी)

विशाखापत्तनम कैवर्न को वर्ष 2015 में चालू किया गया था। इस सुविधा में दो कम्पार्टमेंट – कैवर्न ए (1.03 एमएमटी) और कैवर्न बी (0.3 एमएमटी) हैं। कैवर्न ए स्ट्रेटेजिक कच्चे तेल के लिए है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से भरा जाता है। एचपीसीएल ने आनुपातिक लागत साझाकरण के आधार पर कैवर्न बी को स्वयं अध्यासित कर लिया है। इसका उपयोग एचपीसीएल द्वारा विशाखापत्तनम में अपने रिफाइनरी संचालन के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है।

आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम को 19 जनवरी 2024 को एचपीसीएल को पट्टे पर दिए गए कैवर्न ए में बसरा मीडियम क्रूड की पहली खेप प्राप्त हुई, जिससे व्यावसायीकरण की शुरुआत हुई। तब से, एचपीसीएल द्वारा कैवर्न का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है और आईएसपीआरएल को राजस्व प्राप्त हो रहा है।

इस वर्ष कोई एलटीए (लॉस टाइम एक्सीडेंट) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की निरंतर निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर के 24/7 संचालन को सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण स्टेशन में बोरहोल लॉग की हाइड्रोलॉजिकल निगरानी की गई। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ तय समय के अनुसार आयोजित की गईं। आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आईएसपीआरएल द्वारा आपसी सहायता सदस्यों और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिला अधिकारियों के समन्वय और उप अग्निशमन मुख्य निरीक्षक विशाखापत्तनम की उपस्थिति में 2 फरवरी, 2024 को आपदा नियंत्रण प्रबंधन योजना (डीसीएमपी) मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

विशाखापत्तनम के उप कारखाना प्रमुख के पर्यवेक्षण में एनडीआरएफ, राज्य अग्निशमन विभाग के साथ डीसीएमपी मॉक ड्रिल

विशाखापत्तनम में आईटीबीपी द्वारा अग्निशमन प्रदर्शन

येरदा समुद्रतट (विशाखापत्तनम) पर "स्वच्छता पखवाड़ा विशेष अभियान 3.0"/विशाल समुद्रतट सफाई गतिविधि का आयोजन

विशाखापत्तनम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन

एडनोक के अधिकारियों द्वारा आईएसपीआरएल विशाखापत्तनम का दौरा

महिला दिवस समारोह – विशाखापत्तनम में आईटीबीपी और स्थानीय वैधानिक निकायों की महिला कर्मचारीगण

ii. मैंगलोर (भंडारण क्षमताः 1.5 एमएमटी)

मैंगलोर कैवर्न सुविधा मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र में स्थित है। सुविधा में 0.75 एमएमटी क्षमता की दो कैवर्न हैं।

मैंगलोर कैवर्न–बी को अक्टूबर, 2016 में चालू किया गया था। मैंगलोर के कैवर्न–ए को भरने के लिए एडनोक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरे संशोधित समझौते और पुनः घोषित ऑयल स्टोरेज एवं प्रबंधन समझौते पर 26 जून 2025 को हस्ताक्षर किए गए, जो 09 मई 2025 से प्रभावी है।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24/7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियमित हाइड्रोजियोलॉजिकल निगरानी और बोर होल से पानी का नमूना लिया गया। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

एक प्रमुख अनुरक्षण परिपाटी के रूप में, जनवरी से मार्च 2025 के दौरान सिंगापुर के फ्रामो कार्यशाला में सीपेज वाटर पंप की ओवरहालिंग की गई।

योग दिवस 2024 – मैंगलोर में 21 जून 2024 को मनाया गया

1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक मैंगलोर में स्वच्छता पखवाड़ा–2024 का आयोजन

जुलाई 2024 के दौरान एडनोक अधिकारियों का मैंगलोर दौरा

अगस्त 2024 के दौरान सचिव ओआईडीबी का आईएसपीआरएल मैंगलोर दौरा

सितंबर 2024 के दौरान आईएसपीआरएल मैंगलोर में सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का दौरा

जनवरी 2025 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एम एंड ओआर) का मैंगलोर दौरा

4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान–2025 का आयोजन

iii. पादुर (स्टोरेज क्षमता : 2.5 एमएमटी)

पादुर परियोजना दिसंबर 2018 में चालू की गई थी, जो आईएसपीआरएल द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें कुल स्टोरेज क्षमता 2.5 (एमएमटी) है, जो प्रत्येक 0.625 एमएमटी की चार कैवर्न्स में समान रूप से वितरित है।

इस वर्ष कोई एलटीए (हानि समय दुर्घटना) की सूचना नहीं मिली। एसपीआर पर जल आच्छादन स्तर की लगातार निगरानी और पुनःपूर्ति करके एसपीआर का 24/7 संचालन सुनिश्चित किया गया। एसपीआर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोजियोलॉजिकल और बोर होल की निगरानी की गई। निवारक अनुरक्षण गतिविधियाँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने 17 अक्टूबर 2024 को आईएसपीआरएल पादुर में आतंकवाद–रोधी अभ्यास आयोजित किया ताकि घटनास्थल की आपातकालीन तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। अक्टूबर 17, 2024 को, 20 एनएसजी अधिकारियों की एक टीम ने एक औपचारिक डीब्रीफिंग सत्र आयोजित किया, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक (उडुपी) सहित स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भाग लिया।

आईएसपीआरएल पादुर सुविधाओं का 22 से 23 जनवरी 2025 तक एक ओआईएसडी ऑडिट किया गया। ऑडिट के दौरान, घटनास्थल की सुरक्षा प्रबंधन नीति, आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारी और आपदा प्रबंधन क्षमताओं जैसे महत्वपूर्ण घटकों की विस्तृत समीक्षा की गई।

- आसूचना ब्यूरो (आईबी) द्वारा इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल), पादुर में 16 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक सुरक्षा निरीक्षण किया गया।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के पुनर्सत्यापन हेतु वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप, पादुर में इसके संचालन एवं अनुरक्षण प्रभारी और बहु–विषयक टीम प्रमुखों के सहयोग से एक व्यापक एचएआरए (खतरा विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन), क्यूआरए (मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन), और एचएजेडओपी (खतरा और संचालन क्षमता) अध्ययन किया गया।
- आईएसपीआरएल पादुर को वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नगर राजभाषा कार्यालय उडुपी द्वारा राजभाषा शील्ड पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है।

आसूचना ब्यूरो, पादुर द्वारा सुरक्षा निरीक्षण

नराकास, उडुपी, पादुर द्वारा राजभाषा शील्ड पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) के प्रथम पुरस्कार विजेता का सत्कार

सुश्री वर्षा सिन्हा, ओआईडीबी सचिव का आईएसपीआरएल पादुर का दौरा

- स्थानीय समुदायों में अग्नि जागरूकता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, आईएसपीआरएल की अग्नि एवं सुरक्षा टीम ने कर्नाटक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, उडुपी के सहयोग से 18 अप्रैल 2024 को माजूर ग्राम पंचायत के पास एक अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कर्मचारियों के लिए अग्नि एवं सुरक्षा पीपीई जागरूकता पर एक केंद्रित सत्र आयोजित किया गया। इस सप्ताह के दौरान कई प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं।

अग्नि एवं सुरक्षा पीपीई जागरूकता, पादुर

प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की रक्षा और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की हमारी साझा ज़िम्मेदारी का एक सशक्त अनुस्मारक है। पादुर में आयोजित इस कार्यक्रम में कर्नाटक सरकार (उडुपी) के कृषि सहायक निदेशक श्री मोहनराज अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। टीम के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक कई पौधे लगाए, जो एक हरित और अधिक स्थायी भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक थे।

विश्व पर्यावरण दिवस, पादुर

आईएसपीआरएल पादुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

आईएसपीआरएल पादुर ने 26 जून से 2 जुलाई 2024 तक "विद्युत सुरक्षा अपनाएं – जीवन की रक्षा करें" विषय पर 5वाँ राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह मनाया। विद्युत विभाग द्वारा आईएसपीआरएल पादुर में विद्युत अवसंरचना पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें कार्यस्थल की विद्युत प्रणालियों और उनके प्रचालन सुरक्षा प्रोटोकॉल का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह, पादुर

ङ) इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2025, दिल्ली

आईएसपीआरएल ने 11 से 14 फरवरी, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) में भाग लिया। आईएसपीआरएल ने आईईडब्ल्यू कार्यक्रम में अपना स्वयं का स्टॉल लगाया। भारत और दुनिया भर में विभिन्न तेल कंपनियों और संबद्ध विक्रेताओं के कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा किया और एसपीआर के उद्देश्य और प्रक्रिया को समझने में रुचि ली। एसपीआर का एक मॉडल वर्चुअल 3–डी वॉकथ्रू के साथ प्रदर्श–पटल पर रखा गया था, जिसे आगंतुकों ने काफी सराहा।

अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आईईडब्ल्यू 2025, दिल्ली में आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव (एम एंड ओआर), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सचिव, ओआईडीबी द्वारा आईईडब्ल्यू 2025, दिल्ली में आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा

सचिव, ओआईडीबी और निदेशक (मानव संसाधन), इंडियन ऑयल द्वारा आईईडब्ल्यू 2025, दिल्ली में आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा

प्रतिनिधिमंडल का आईईडब्ल्यू 2025, दिल्ली में आईएसपीआरएल स्टॉल का दौरा

ओआईडीबी भवन, नोएडा में योग दिवस समारोह

च. आईएसपीआरएल की जारी परियोजनाओं की स्थिति

i. <u>पादुर, जिला उडुपी, कर्नाटक में चरण–II के तहत 2.5 एमएमटी का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स</u>

- आईएसपीआरएल ने नवंबर 2020 में पादुर–चरण–II परियोजना के लिए 210 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु केआईएडीबी को आवेदन प्रस्तुत किया था।
- केआईएडीबी ने 22 फरवरी 2023 को 214.79 एकड़ पादुर भूमि के लिए अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी की। आईएसपीआरएल ने 24 जुलाई 2025 को पादुर की 204 एकड़ भूमि का कब्ज़ा ले लिया।
- रियायती करार के लिए ऋणभार–मुक्त भूमि प्रदान करना एक पूर्व शर्त है।
- पादुर–II में परियोजना के विकास हेतु आरएफपी 19 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था और चयनित बोलीदाता को 18 अगस्त 2025 को डीबीएफओटी आधार पर पीपीपी मोड पर समर्पित एसपीएम, संबद्ध तटवर्ती और अपतटीय पाइपलाइनों के साथ 2.5 एमएमटी क्षमता वाली एसपीआर विकसित करने के लिए एलओए दिया गया है। परियोजना के पूरा होने की लक्षित तिथि अगस्त 2030 है।

ii. <u>चांदीखोल, जिला जाजपुर, ओडिशा में चरण–II के तहत 4.0 एमएमटी का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स</u>

- ईआईएल द्वारा डीएफआर अध्ययन पूरा होने के बाद, ओडिशा के जाजपुर जिले के चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के लिए 30.09.2019 को ओडिशा सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- ओडिशा सरकार ने 6 जनवरी 2025 को आयोजित उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) की 38वीं बैठक में चांदीखोल में 4.0 एमएमटी क्षमता वाली एसपीआर स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, 8 अप्रैल 2025 को ओडिशा सरकार और आईएसपीआरएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईएसपीआरएल भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए ओडिशा सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है।

चांदीखोल परियोजना के लिए ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

iii. मैंगलोर में चरण–I विस्तार के लिए एमएसईजेडएल में भूमि अधिग्रहण

- डेलिगेटेड इंवेस्टमेंट बोर्ड (डीआईबी) ने 17 फरवरी 2023 को इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा मैंगलोर एमएसईजेडएल में एसपीआर और संबंधित सुविधाओं के निर्माण हेतु मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से भूमि (154.9 एकड़) के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आईएसपीआरएल ने मैंगलोर स्थित एमएसईजेडएल क्षेत्र में भूमि (154.90 एकड़) के अधिग्रहण के लिए 17 मार्च 2023 को एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ईआईएल द्वारा अंतिम डीएफआर और परियोजना लागत अनुमान जनवरी 2025 में प्रस्तुत किया गया है।
- इसे आवश्यक अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

iv. अन्य नई परियोजनाएं

भारत में बढ़ते आयात को देखते हुए, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज क्षमता को और बढ़ाने के लिए, आईएसपीआरएल ने ईआईएल को निम्नलिखित के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है :

1. राजस्थान में 5.625 एमएमटी क्षमता के साल्ट कैवर्न के निर्माण के लिए डीएफआर तैयार करने का कार्य और साथ ही गैस स्टोरेज की व्यवहार्यता। डीएफआर तैयारी के उन्नत चरण में है।
2. आईएसपीआरएल मैंगलोर (चरण–I) में अतिरिक्त भूमिगत क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंकों का निर्माण। पीएफआर प्राप्त हो गया है और समीक्षाधीन है।
3. बीना में एसपीआर के लिए पीएफआर अध्ययन का अनुपालन किया गया है और समीक्षाधीन है।

छ. ओटोको के साथ समझौता–ज्ञापन

i. ओमान वर्तमान में दुकम बंदरगाह के पास रास मरकज़ में एक सतत ऊर्जा सुरक्षा परियोजना का निर्माण कर रहा है। वर्ष 2014 में स्थापित ओमान टैंकिंग टर्मिनल कंपनी (ओटोको), जो एक वाणिज्यिक कंपनी ओक्यू की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और ओमान सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, उपरोक्त परियोजना के विकास में शामिल प्रमुख कंपनी है।

ii. ओटोको ने मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से आईएसपीआरएल को रास मरकज़ परियोजना में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। ओटोको ने रास मरकज़ में अपनी रिफ़ाइनरी के लिए पहले ही 5.2 मिलियन बैरल क्षमता के भू–स्थित कच्चे तेल के स्टोरेज टैंक का निर्माण कर लिया है और उन्हें वर्ष 2022 में चालू कर दिया है। समर्पित एसपीएम और संबंधित पाइपलाइनें भी चालू कर दी गई हैं।

iii. भू–स्थित स्टोरेज टैंकों के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए, ओटोको ने 25.06.2023 को ओटोको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

iv. विभिन्न दौर की चर्चाओं के बाद, मैसर्स ओक्यू (ओटोको की होल्डिंग कंपनी) ने 19 नवंबर 2024 के ईमेल के माध्यम से 20 जनवरी 2025 को आईएसपीआरएल को विस्तृत पूंजीगत व्यय अनुमानों के साथ अपनी तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) प्रस्तुत की।

v. अंतिम समीक्षा और मामूली सुधारों के बाद, 20 फरवरी 2025 को टीएफआर पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। ओक्यू ने आगे सूचित किया कि वे आईएसपीआरएल को एक गैर–बाध्यकारी प्रस्ताव ("एनबीओ") प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं और सूचित किया कि वे अपेक्षित प्रस्तुति तिथि पर नियत समय में जानकारी देंगे।

vi. प्रस्ताव समीक्षाधीन है।

III. लाभांश

आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

IV. आरक्षित निधियों का अंतरण

चूंकि कंपनी को हानि हुई, अतः 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आरक्षित निधि में अंतरित करने योग्य कोई राशि नही थी।

V. सार्वजनिक जमा

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान जनता से कोई भी जमा आमंत्रित, स्वीकार या नवीनीकृत नहीं किया है और तदनुसार, उसके संबंध में कोई मूलधन या ब्याज बकाया नहीं है।

VI. कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है जो कंपनी की वेबसाइट पर https://isprlindia.com/csr.asp वेबलिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक उत्तरदायित्व के प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई लाभ अर्जित नहीं किया है। इसलिए, कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कोई धनराशि खर्च नहीं की है।

वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों के साथ–साथ इनमें प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लेने की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक–क** में दिया गया है।

31 मार्च 2022 तक सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार है :

1.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय /निदेशक, आईएसपीआरएल	:	अध्यक्ष
2.	श्री एल आर जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल	:	सदस्य

VII. वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://isprlindia.com/annual-report.asp पर उपलब्ध कराई जाएगी।

VIII. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पाँच बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर था :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण, जिसमें प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या को दर्शाया गया है, **अनुलग्नक–क** में है।

IX. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी अपने मौजूदा व्यवसाय में काम करना जारी रखे हुए है।

X. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) में परिवर्तन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, 24 सितंबर 2024 को आयोजित 20वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित संगम–ज्ञापन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) 21 जनवरी 2025 से

U63023DL2004GOI126973 से बदलकर U63023DL2004PLC126973 हो गई। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(3) के तहत आवश्यक सभी वैधानिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर इसे अद्यतन किया गया है।

XI. कार्मिकों का विवरण

कंपनी के पास ऐसा कोई कार्मिक नहीं है जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

XII. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा और वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय के बारे में विवरण

कंपनी ओआईडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की है, क्योंकि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार इस आवश्यकता से छूट दी गई है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा प्रदान करने के साथ–साथ स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता, अनुभव और दक्षता के लिए बोर्ड की राय के बारे में एक विवरण प्रदान करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

XIII. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की निरंतर सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास कंपनी के प्रचालन से जुड़े जोखिम की पहचान करने और जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी से जुड़े प्रमुख जोखिम कच्चे तेल की प्राप्ति और स्टोरेज और डिलीवरी से संबंधित हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं और पर्याप्त बीमा कवर को अपनाकर इन जोखिमों को कम किया जाता है। मौजूदा जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की जा रही है और इसे वित्तीय वर्ष 2025–2026 में अंतिम रूप दिया जाएगा।

XIV. शेयर पूंजी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की अधिकृत, निर्गत और संदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

XV. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित थे :

क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक	– श्री एल. आर. जैन
ख) मुख्य वित्तीय अधिकारी	– श्री गोपेश्वर कुमार सिंह (04.05.2024 तक)
ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी	– श्री अजय दशोरे (15.05.2024 से 09.06.2024)
घ) मुख्य वित्तीय अधिकारी	– श्री दीपक कुमार (10.06.2024 से)
ङ) कंपनी सचिव	– सुश्री शिल्पी मोहंती

XVI. पारिश्रमिक

आईएसपीआरएल के बोर्ड में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के सिवाय, सभी निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं, जिन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा नामित किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामित गैर–कार्यकारी निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक आईएसपीआरएल बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा एजीएम में स्वीकृत उनके रोजगार की शर्तों के अनुसार है।

कंपनी के प्रमुख पदों पर तेल पीएसई से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हें उनकी संबंधित मूल कंपनियों की नीतियों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

इसके अलावा, मैंगलोर कार्यालय में 12 कार्मिकों की नियुक्ति की गई है, जहां आईएसपीआरएल ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। इन कार्मिकों को ओआईडीबी नीतियों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

XVII. वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जिससे तुलन–पत्र संबंधित है, तथा रिपोर्ट की तारीख के बाद कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

XVIII. भविष्य में कंपनी का चालू रहने की स्थिति और कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेशों का ब्यौरा

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे भविष्य में कंपनी को चालू रहने की स्थिति और प्रचालन पर कोई प्रभाव पड़े।

XIX. उन कंपनियों का प्रकटीकरण जो इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां बनी या बंद हो गई हैं

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, जो कंपनी की सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनी हो या बंद हो गई हो।

XX. लेखापरीक्षक

(i) सांविधिक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने मैसर्स आर एन माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जिसने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट **(अनुलग्नक–ख)** प्रस्तुत की।

(ii) सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (क) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, सीएंडएजी के संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो। **(अनुलग्नक–ग)**।

(iii) सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स पीजी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (एफआरएन–S2004DE73600) को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। प्रपत्र एमआर–3 में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक–घ** के रूप में संलग्न है, और इसमें उल्लिखित बिंदुओं को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के साथ कंपनी

(लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित लागत अभिलेख बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, उक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XXI. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात एवं विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(i) **ऊर्जा संरक्षणः** आईएसपीआरएल के सभी स्थलों और मुख्यालय में अधिकांश पारंपरिक लाइटों को एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है। सभी स्थलों पर सक्रिय वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ हैं, जो बाहरी स्रोतों की आवश्यकता के बिना बागवानी के लिए जल आपूर्ति करती हैं। रिसने वाले जल का उपचार भी किया जाता है और बोरहोल चार्जिंग के लिए पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे ताजे पानी की खपत कम होती है।

सभी स्थानों द्वारा रूफटॉप सौर पैनल लगाने के लिए पूंजीगत व्यय प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और ग्रिड पावर पर निर्भरता कम होगी। मौजूदा एयर कंडीशनिंग इकाइयों को ऊर्जा कुशल मॉड्यूल से बदलने के लिए ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनरों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जो पूरे परिसर में एचवीएसी ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करते हैं।

(ii) **प्रौद्योगिकी अवशोषण :** ईआईएल द्वारा साल्ट कैवर्न के लिए डीएफआर तैयार करने हेतु मैसर्स डीप, जर्मनी को बैक–अप सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रक्रिया में, ईआईएल और आईएसपीआरएल ने साल्ट कैवर्न के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है।

(iii) **विदेशी मुद्रा आय और व्यय :** कंपनी को वर्ष के दौरान ₹64.921 लाख की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। साथ ही, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि ₹4.49 लाख थी।

XXII. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू किया है।

XXIII. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए कंपनी की शून्य–सहिष्णुता की नीति है। कंपनी ने 'महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने इस अधिनियम के तहत आंतरिक समिति का विधिवत गठन किया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राप्त मामलों या शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

XXIV. बोर्ड का मूल्यांकन

बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड कार्य–निष्पादन मूल्यांकन नीति के अनुसार किया गया है।

XXV. धोखाधड़ी के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

XXVI. ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के दायरे में आने वाला कोई निवेश नहीं किया है, कोई ऋण या गारंटी, या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।

XXVII. संबंधित पक्षकार लेन–देन (आरपीटी)

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत संबंधित पक्षकार लेनदेन, आईएसपीआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान था। संबंधित पक्षकार के साथ लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं और आर्म्स लेंथ आधार पर हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 188 के साथ पठित धारा 134(3)(ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे फॉर्म संख्या एओसी–2 में रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो।

लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आरपीटी से संबंधित प्रकटीकरण वित्तीय विवरण की टिप्पणी–32 में दिए गए हैं।

XXVIII. सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है।

XXIX. वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही के साथ–साथ वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन किया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

XXX. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के विवरण के साथ–साथ इसके कारण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं था।

XXXI. कंपनी द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन किए जाने का विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है।

XXXII. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत यथा–अपेक्षित, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा यह उल्लेख और पुष्टि की जाती है :

(क) कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए थे;

(ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सतत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं, जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके;

(ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की हैं;

(घ) निदेशकों ने "चालू संस्था" के आधार पर लेखा तैयार किए था; और

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

XXXIII. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार आपके निदेशक मंडल में पांच गैर–कार्यकारी निदेशक और एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

1.	श्री पंकज जैन (डीआईएन –– 00675922)	सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष (20.01.2022 से);
2.	श्री प्रवीण एम. खनूजा (डीआईएन –– 09746472)	अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (17.02.2023 से);
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (डीआईएन –– 09831741)	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (21.12.2022 से);
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (डीआईएन –– 08504560)	संयुक्त सचिव (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय – निदेशक (22.12.2021 से);
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (डीआईएन –– 09825811)	सचिव, ओआईडीबी – निदेशक (15.12.2022 से);
6.	श्री एल. आर. जैन (डीआईएन –– 08505199)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (31.10.2022 से)।

अभिस्वीकृति

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल उद्योग विकास बोर्ड और सभी हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(एल. आर. जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन#08505199)

हस्ता./–
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
(डीआईएन#08504560)

दिनांक : 30.09.2025
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक—क

बोर्ड समितियों और बोर्ड की बैठकों का विवरण तथा उन बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशकों ने भाग लिया :

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

वित्तीय वर्ष 2024—25 में सीएसआर समिति की एक (1) बैठक 26 मार्च 2025 को आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम	उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1	सुश्री ईशा श्रीवास्तव	अध्यक्ष	1
2	श्री एल. आर. जैन	सदस्य	1

निदेशक मंडल :

वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की नीचे उल्लिखित तिथियों पर पाँच बैठकें हुई :

1. 8 अप्रैल 2024
2. 8 मई 2024
3. 16 जुलाई 2024
4. 24 सितंबर 2024
5. 21 जनवरी 2025

वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री पंकज जैन (20.01.2022 से)	अध्यक्ष	5
2.	श्री प्रवीण एम. खनूजा (17.02.2023 से)	निदेशक	4
3.	सुश्री कामिनी चौहान रतन (21.12.2022 से)	निदेशक	4
4.	सुश्री ईशा श्रीवास्तव (22.12.2021 से)	निदेशक	5
5.	सुश्री वर्षा सिन्हा (15.12.2022 से)	निदेशक	5
6.	श्री एल. आर. जैन (31.10.2022 से)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	5

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'') के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरण सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसमें आगे ''वित्तीय विवरण'' कहा गया है) शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित रीति में आवश्यकत जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित इसकी हानि का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत यथानिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसरण में इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां अनुभाग में वर्णित की गई हैं। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ नैतिक अपेक्षाओं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संगत है, के अनुसरण में कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले संबंधी पैराग्राफ

मार्च 2024 को समाप्त इसी अवधि के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जो इन वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं, जिनकी 16 जुलाई 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय व्यक्त की गई थी। योग्यता का आधार चरण–II के लिए प्राप्त अनुदान में से 2,069.39 लाख रुपये का उपयोग था, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान चरण–I के विस्तार के लिए मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड से भूमि अधिग्रहण हेतु पट्टा प्रीमियम के लिए सक्षम प्राधिकारी/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों में वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'नकदी और नकद समकक्षों' में इसी अनुपात में कमी और 'अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों' में वृद्धि परिलक्षित हुई।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य जानकारी या यदि उपयुक्त हो तो कोई अन्य शीर्षक, जैसे "वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी"

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार होता है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, किंतु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

हमारी राय में इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, हम इस बात का ध्यान रखें कि क्या ऐसी अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा में या अन्यथा प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से मिथ्याबयानी प्रतीत होती है। यदि हम अपने द्वारा किए गए इस कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है, तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट किए जाने योग्य कोई तथ्य नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, इन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो [कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित,] के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख का रखरखाव, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेख की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, शामिल हैं, जो इंड एएस वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी को एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने के लिए कंपनी की योग्यता और क्षमता का आकलन करने, यथा लागू प्रकटीकरण, सुनाम प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए आधार का उपयोग करने के लिए तब तक जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन का इरादा या तो कंपनी को परिसमाप्त करने या ऑपरेशन को रोकने का नहीं है या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

यह निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होता है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा उस महत्वपूर्ण गलत विवरण का हमेशा पता लगाएगा, जो मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है तो उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं :

- इंड एएस वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उन्हें निष्पादित करना, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप वास्तविक मिथ्यबयानी के पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, टकराव, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के जारी प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता है जो कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होता है, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित इंड एएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय वास्तु का मूल्यांकन करना, और क्या इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने अपनी स्वायत्तता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा ऐसे सभी सम्बन्ध और मामले जो हमारी स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी उनसे संवाद करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं सम्बन्धी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम **अनुलग्नक–क** में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने सभी ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी उचित जानकारी और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) जहाँ तक लेखा–बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून अनुसार यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उपयुक्त विवरणियां प्राप्त हो गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल अन्य व्यापक आय का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियामवली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस के अनुरूप हैं।

(ङ) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(च) इन इंड एएंस वित्तीय विवरणओं के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में इस रिपोर्ट के **''अनुलग्नक ख''** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उल्लेख करते हैं कि लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियामवली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह सूचित करते हैं किः

i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है (वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 31.2(क) देखें)।

ii. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी को व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालिक संविदाओं में कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि नहीं हुई;

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने सूचित किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित संस्थाओं को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या इसकी ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित संस्थाओं को या कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार (''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या इसकी ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार नियम 11 (एफ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष क्रियाशील रहा है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। ऑडिट ट्रेल को कंपनी द्वारा अभिलेख प्रतिधारण के लिए सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार परिरक्षित किया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का उत्तर
(i)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रोसेसिंग के निहितार्थ बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें कच्चे तेल की बिक्री के लिए बिलिंग, पंपिंग शुल्क, एडनोक और एमआरपीएल से प्रचालन आय, एचपीसीएल के साथ ओ एंड एम व्यय का बंटवारा, कैवर्न्स के पट्टे/किराये से आय और संबंधित आय, रॉक बिक्री, संपत्ति संयंत्र और उपकरण अभिलेख, छुट्टी अभिलेख, पेरोल, अनुदान रिकॉर्ड शामिल हैं, जिनके लिए लेखाओं की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग का कोई निहितार्थ नहीं है और कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया है।

(ii)	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट दी गई/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)।	तुलनपत्र की तारीख के अनुसार कंपनी पर कोई ऋण नहीं है। तदनुसार, कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केंद्रीय/राज्य सरकारों या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को योजना की शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रदान करें।	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, प्राप्त हुए अनुदान के सिवाय, केंद्र/राज्य सरकार से इसकी एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया है।

कृते आर. एन. माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण सं. : 001211N/N500019)

हस्ता./-
मनोज गुप्ता
साझेदार

(सदस्यता संख्या : 096776)
यूडीआईएन : 25096776BMMKWQ1090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क' 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित

i) क. क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों (पाइपलाइनों के लिए आरओयू) का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विशाखापत्तनम इकाई में बाहरी एजेंसी के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से और मैंगलोर इकाई, पादुर इकाई और मुख्यालय में आंतरिक रूप से भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति को देखते हुए उचित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियों (ऐसी अचल संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा करार पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।

घ. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोगाधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध बेनामी संपत्ति लेनदेन का निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन ने स्वतंत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से उचित अंतराल पर भारत सरकार की ओर से मैंगलोर में कैवर्न बी और कैवर्न ए में एडनोक तथा भारत सरकार की ओर से विशाखापत्तनम और पादुर में रखे गए कच्चे तेल के भंडार का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, कच्चे तेल की प्रकृति और स्थान को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित मानी जाती है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा संस्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) (क) से (च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है जिसके लिए अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान लागू होते हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत की केंद्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) क. कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य सांविधिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को उचित प्राधिकरणों को जमा करने में नियमित रही है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित बकाया सांविधिक देय नहीं है :

ख. हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, निम्नलिखित के सिवाय माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य कोई भी सांविधिक बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो :

विवादित देय का विवरण

सांविधि का नाम	देय का प्रकार	वह अवधि, जिससे राशि संबंधित है	वह मंच, जहां मामला लंबित है	राशि (₹लाख में)
आंध्र प्रदेश लघु खनिज रियायत नियम 1996	रॉयल्टी	31.03.2018 तक	खदान एवं भूविज्ञान निदेशालय, आंध्र प्रदेश	11,795.03
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 154 के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	वि.व. 2017–18 (नि.व. 2018–19)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	0.29
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	वि.व. 2021–22 (नि.व. 2022–23)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	228.14
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 143(3) के तहत किए गए निर्धारण पर मांग	वि.व. 2022–23 (नि.व. 2023–24)	आयकर आयुक्त (अपील) के पास अपील के अधीन	0.70
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	फॉर्म डीआरसी–01 में जीएसटी की मांग	वि.व. 2017–18 से वि.व. 2018–19	जीएसटी प्राधिकरण	13.90
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	फॉर्म डीआरसी–07 में जीएसटी की मांग	वि.व. 2019–20 से वि.व. 2022–23	जीएसटी प्राधिकरण	111.83

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, लेखा बहियों में आय के रूप में पहले से दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है।

(ix) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों और उधारों की चुकौती या उन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

ग. कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(x) क. कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से निधियां नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का खंड (3)(x)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड (3)(x)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xi) क. कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी–4 में लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

ग. हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड (3)(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहाँ लागू हो, के अनुपालन में हैं। संबंधित पक्षकरों के साथ सभी लेन–देन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित रूप से प्रकट किया गया है [वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें]।

(xiv) क. कंपनी के जांचे गए अभिलेखों और हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, कंपनी के पास इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख. हमने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है जो आज तक जारी की गई हैं और लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए हमें उपलब्ध कराई गई हैं।

(xv) कंपनी के जांचे गए अभिलेखों तथा हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) क. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख. कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदनों के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ग. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

घ. कंपनी किसी समूह का भाग नहीं है। तदनुसार, आदेश के इस खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष और तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांवधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो यह इंगित करती है कि कंपनी तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, तुलन–पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

(xx) धारा 135 के प्रावधानों द्वारा यथानिर्दिष्ट सीएसआर व्यय संबंधी आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं। तदानुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।

(xxi) आदेश के इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते आर. एन. माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण सं. : 001211N/N500019)

हस्ता./-
मनोज गुप्ता
साझेदार

(सदस्यता संख्या : 096776)
यूडीआईएन : 25096776BMMKWQ1090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2025

अनुलग्नक–ख

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (''कंपनी'')** के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ उसी तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में निदेशात्मक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, अधिनियम के तहत यथाआवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखांकन मानक के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा का आयोजन और निष्पादन यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है तथा ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू प्रचलित है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा की योग्य राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित

आश्वासन प्रदान करने और बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो: (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जिनसे उस कंपनी की परिसम्पत्तियों के लेनदेन और प्रवृति की सटीक और निष्पक्ष तथ्य यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करती है। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों;, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या प्रबंधन के अनुचित नियंत्रण की सम्भावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण मिथ्याबयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, आगामी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए मानदंड के आधार पर 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

कृते आर. एन. माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण सं. : 001211N/N500019)

हस्ता./-
मनोज गुप्ता
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 096776)
यूडीआईएन : 25096776BMMKWQ1090

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.07.2025

अनुलग्नक–ग

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएसपीआरएल के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएसपीआरएल के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेख किया गया है कि यह कार्य उनके द्वारा 21 जुलाई 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएसपीआरएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कतिपय लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

ह0/–
बीरेन डी. परमार
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक,
मुंबई

स्थानः मुंबई
दिनांकः 12 सितंबर 2025

अनुलग्नक–घ

फॉर्म एमआर–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014, नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
तीसरी मंजिल, ओआईडीबी भवन,
प्लॉट संख्या 2, सेक्टर 73,
नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301

हमने **इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड** (जिसे इसमें आगे 'कंपनी' कहा गया है), सीआईएन नंबर CINU63023DL2004PLC126973, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और विकसित निगमित पद्धतियों के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से संचालित की गई है की हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का एक तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और कंपनी द्वारा दायर विवरणियों एवं बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष वाली लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास यहां रिपोर्ट किये गए तरीके तथा शर्तों के अध्यधीन उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उपलब्ध हैं :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की बही, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2011; **लागू नहीं**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011; **लागू नहीं**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियमन, 2025; **लागू नहीं**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और अपेक्षाओं का प्रकटीकरण) विनियमन, 2018; **लागू नहीं**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ और स्वीट इक्विटी) दिशानिर्देश, 2021; **लागू नहीं**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण अभिकर्ता के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से निपटने से संबंधित; **लागू नहीं**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021; **लागू नहीं**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 2018; **लागू नहीं**

(vi) हमने निम्नलिखित लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की।

i. सचिवीय मानक संख्याः 7.4, 7.5.2 के सिवाय, सामान्य तौर पर बोर्ड की बैठकों के अनुपालन के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस–1)

ii. सामान्य तौर पर सामान्य बैठकों के अनुपालन के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस–2)

(vii) अन्य लागू कानून :

i) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934;

ii) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884;

iii) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(viii) पर्यावरण कानून :

i) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

iv) खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

हमने कंपनी पर लागू अन्य कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विश्वास किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 205 (E) के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में जानकारी प्रदान करने के सिवाय, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुछ बोर्ड बैठकें और समिति की बैठकें अल्पावधि नोटिस पर बुलाई गई, कार्यसूची के साथ–साथ कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां भी अल्पावधि नोटिस पर भेजी गई और निदेशकों से सहमति ली गई। बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए कार्यवृत्तों के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यसूची की किसी भी मद पर कोई असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के सिवाय उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों को बड़े तौर पर प्रभावित करने वाली घटनाएँ/कार्रवाई नहीं की है:

(i) कंपनी ने 24 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके अपनी स्थिति को पब्लिक लिमिटेड और सरकारी कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए संगम–ज्ञापन में संशोधन किया है।

कृते, पीजी एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
विशिष्ट कोड नंबर : S2004DE73600

हस्ता/-
सीएस प्रीति ग्रोवर
(प्रोपराइटर)
एफसीएस : 5862, सीपी नं.: 6065
पीयर रिव्यू नंबर : 6917/2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2025

यूडीआईएन : F005862G000889571

इस रिपोर्ट को "अनुलग्नक–क" के रूप में संलग्न हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक–क

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
तीसरी मंजिल, ओआईडीबी भवन, प्लॉट संख्या 2, सेक्टर 73,
नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201301

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों का रखरखाव पर एक राय व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआी") द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 ("सीएसएएस") के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षक को सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए।

आंतरिक, वित्तीय और प्रचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याबयानी या महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन का पता नहीं चल सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सीएसएएस के अनुसार उचित रूप से योजनाबद्ध और निष्पादित की गई हो। हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है :

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे निष्कर्ष/लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की यथार्थता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और इनके लिए हमने सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।
4. हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन, जहां कहीं आवश्यक हो, प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते, पीजी एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)
विशिष्ट कोड नंबर : S2004DE73600

हस्ता/-
सीएस प्रीति ग्रोवर
(प्रोपराइटर)
एफसीएस : 5862, सीपी नं.: 6065
पीयर रिव्यू नंबर : 6917/2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2025
यूडीआईएन : F005862G000889571

वार्षिक लेखा
2024-25

31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

सीआईएन:-U63023DL2004PLC126973

	विवरण	टिप्पणी संख्या	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
(I)	**परिसंपत्ति**			
	गैर चालू परिसंपत्ति			
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2	2,88,895.72	2,98,218.63
	(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2.1	-	-
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3	7,152.67	7,150.36
	(घ) वित्तीय पूंजी			
	(i) ऋण	4	-	-
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	6,849.15	5,778.69
	(ङ) आयकर परिसंपत्ति	6	1,789.59	1,161.77
	(च) अन्य गैर – चालू परिसंपत्ति	7	31,962.26	20,066.60
	उप–योग		**3,36,649.39**	**3,32,376.05**
(II)	**चालू परिसंपत्ति**			
	(क) वित्तीय पूंजी			
	(i) व्यापार प्राप्तियां	8	0.12	69.59
	(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	9	537.89	1,015.77
	(iii) उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष	10	12,934.94	9,272.13
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	2,045.53	22,622.63
	(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	1,618.68	1,818.70
	उप–योग		**17,137.16**	**34,798.82**
	कुल परिसंपत्ति		**3,53,786.55**	**3,67,174.87**
	इक्विटी और देयता			
(I)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	3,79,005.47	3,79,005.47
	(ख) अन्य इक्विटी	14	(77,057.45)	(72,038.39)
	उप–योग		**3,01,948.02**	**3,06,967.08**
(II)	**देयताएं**			
	गैर–चालू देयताएं			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी		-	-
	(iक) पट्टा देयताएं	15	746.19	552.31
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16	21.85	22.28
	(ख) प्रावधान	17	3.17	7.45
	उप–योग		**771.21**	**582.04**
(III)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी	18	-	-
	(iक) पट्टा देयताएं	19	228.40	4.15
	(ii) व्यापार देयताएं			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया राशि	20	273.23	346.95
	(ख) उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	20	2,501.76	1,812.49
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21	46,224.51	36,891.40
	(ख) प्रावधान	22	0.47	0.87
	(ग) अन्य चालू देयताएं	23	1,838.95	20,569.89
	उप–योग		**51,067.32**	**59,625.75**
	कुल इक्विटी और देयताएं		**3,53,786.55**	**3,67,174.87**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी	1
लेखा संबंधी टिप्पणियां	2- 40(iii)

उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

आर एन माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : : 001211N/N500019

हस्ता./-
(मनोज गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 096776

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन:-U63023DL2004PLC126973

		₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
आय			
प्रचालन से राजस्व	24	5,030.93	1,047.74
अन्य आय (ओ एंड एम अनुदान सहित)	25	13,523.15	14,532.98
कुल आय		**18,554.08**	**15,580.72**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	1,289.51	1,249.15
वित्त लागत	27	81.18	41.59
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	28	9,955.40	9,902.36
अन्य खर्चों			
- - संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय	29.1	10,909.09	12,948.46
- - चरण II परियोजना के लिए व्यय	29.2	39.77	-
- - ब्याज व्यय (प्रतिपूर्ति)	29.3	1,226.89	303.34
- - विविध व्यय	29.4	2.71	0.40
कुल व्यय		**23,504.55**	**24,445.30**
कर पूर्व लाभ / (हानि)		**(4,950.47)**	**(8,864.58)**
कर व्यय:			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		-	-
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		**(4,950.47)**	**(8,864.58)**
अन्य व्यापक आय			
- - परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन		5.50	(5.36)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		**(4,944.97)**	**(8,869.94)**
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का सममूल्य ₹10 / –)	30		
(i) बेसिक		(0.13)	(0.23)
(ii) तनुकृत		(0.13)	(0.23)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी 1
लेखा संबंधी टिप्पणियां 2- 40(lii)
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

आर एन माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : : 001211N/N500019

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(मनोज गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 096776

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
सीआईएन:-U63023DL2004PLC126973

क्रम संख्या	विवरण	₹ लाख में 31 को समाप्त वर्ष के लिए मार्च, 2025	₹ लाख में 31 को समाप्त वर्ष के लिए मार्च, 2024
(क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह विवरण**		
	कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(4,944.97)**	**(8,869.94)**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन : –		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9,955.40	9,902.36
	निम्नलिखित को बट्टे खाते में डालने पर हानि	(74.09)	-
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1.00	0.35
	व्यय/विपूंजीकरण में प्रभारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	-
	समायोजन/पूंजीकरण में प्रभारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	(2.38)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	81.18	41.59
	वित्त लागत ब्याज आय	(1,541.03)	(401.36)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**3,477.49**	**670.62**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन : –		
	वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	13,333.71	(36,105.80)
	देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(15,517.56)	21,484.20
	कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि/(कमी)	**(2,183.85)**	**(14,621.60)**
	प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**1,293.64**	**(13,950.98)**
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (प्रतिदाय के बाद निवल)	(627.82)	(175.28)
	प्रचालन से कुल नकदी प्रवाह (क)	**665.82**	**(14,126.26)**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद/समायोजन	(633.51)	(12.28)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर प्रतिफल	0.03	-
	सावधि जमा में निवेश (3 माह से अधिक)	(9,118.37)	10,248.99
	प्राप्त ब्याज	1,541.03	401.36
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	**(8,210.82)**	**10,638.07**
(ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	ओआईडीबी से चरण II के लिए अनुदान से प्राप्तियां (रिफंड के बाद निवल)	44.94	298.82
	चरण II के लिए भारत सरकार से अनुदान से प्राप्त आय	1,725.00	-
	ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन	(39.77)	-
	भूमि के लिए भारत सरकार से अनुदान से प्राप्त आय (चरण 1 विस्तार)	5,000.00	4,000.00
	वित्त लागत (इंड एएस 116)	(81.18)	(41.59)
	पट्टा देयताएं (इंड एएस 116)	418.13	(2.03)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**7,067.12**	**4,255.20**
(घ)	**नकदी एवं नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)**	**(477.88)**	**767.01**
	नकदी और नकदी समकक्षों का प्रारंभिक शेष	**1,015.77**	**248.76**
	नकदी और नकदी समकक्षों का अंत शेष	**537.89**	**1,015.77**
	नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
	बैंकों के पास शेष राशि		
	-- चालू खातों में	160.29	54.74
	-- जमा खातों में		
	-- सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह तक)	377.20	961.03
	-- हाथ में नकदी	0.40	-
	कुल	**537.89**	**1,015.77**

टिप्पणी :

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इंड एएस 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी 1
लेखा संबंधी टिप्पणियां 2- 40(iii)
उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियां, वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

आर एन माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : : 001211N/N500019

हस्ता./-
(मनोज गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 096776

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क) पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (ख)	3,79,005.47 -	3,79,005.47 -
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर उल्लिखित शेष राशि (ग) = (क) + (ख)	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन (घ)	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (ङ) = (ग) + (घ)	**3,79,005.47**	**3,79,005.47**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
	प्रतिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि (क) लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (ख)	(72,038.39) (74.09)	(63,168.45) -
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर उल्लिखित शेष राशि (ग) = (क) + (ख)	**(72,112.48)**	**(63,168.45)**
प्रतिधारित आय में अंतरित (घ) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ङ)	(4,950.47) 5.50	(8,864.58) (5.36)
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि (च) = (ग) + (घ) + (ङ)	**(77,057.45)**	**(72,038.39)**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

आर एन माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : : 001211N/N500019

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(मनोज गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 096776

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

वित्तीय विवरण के संबंध में टिप्पणियां

टिप्पणी संख्या 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निस्तारण/ कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण/उपयोगी काल का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	निस्तारण/कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण /उपयोगी काल का का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2025 तक कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
(क) भवन	18,447.51	-	-	18,447.51	3,483.98	510.53	-	3,994.51	14,453.00	14,963.53
(ख) सड़कें और पुलिया	3,165.30	-	-	3,165.30	2,258.59	82.91	-	2,341.50	823.80	906.71
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,740.63	29.85	-	1,26,770.48	35,441.61	5,163.06	-	40,604.67	86,165.81	91,299.02
(घ) कैवर्न्स	2,02,939.31	-	-	2,02,939.31	22,857.91	3,382.32	-	26,240.23	1,76,699.08	1,80,081.40
(ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर	169.23	2.39	-	171.62	112.80	14.54	-	127.34	44.28	56.43
(च) परिवहन वाहन	151.23	-	-	151.23	103.51	11.67	-	115.18	36.05	47.72
(छ) कार्यालय उपकरण	481.49	17.50	(0.04)	498.95	428.63	11.96	(0.04)	440.55	58.40	52.86
(ज) कंप्यूटर	1,256.17	36.84	(4.14)	1,288.87	1,146.29	45.47	(3.11)	1,188.65	100.22	109.88
(झ) उपयोग का अधिकार इंड एएस 116)*	13,272.48	909.63	-	14,182.11	2,571.40	732.94	362.69	3,667.03	10,515.08	10,701.08
कुल	**3,66,623.35**	**996.21**	**(4.18)**	**3,67,615.38**	**68,404.72**	**9,955.40**	**359.54**	**78,719.66**	**2,88,895.72**	**2,98,218.63**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निस्तारण/ कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण/उपयोगी काल का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	निस्तारण/कटौती/ अंतरण/ पुनर्वर्गीकरण /उपयोगी काल का का पुनर्अनुमान	31 मार्च, 2024 तक कुल मूल्यह्रास	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
(क) भवन	18,447.51	-	-	18,447.51	2,972.06	511.92	-	3,483.98	14,963.53	15,475.45
(ख) सड़कें और पुलिया	3,165.30	-	-	3,165.30	2,079.91	178.68	-	2,258.59	906.71	1,085.39
(ग) संयंत्र और मशीनरी	1,26,738.73	1.90	-	1,26,740.63	30,264.74	5,176.87	-	35,441.61	91,299.02	96,473.99
(घ) कैवर्न्स	2,02,939.31	-	-	2,02,939.31	19,466.32	3,391.59	-	22,857.91	1,80,081.40	1,83,472.99
(ङ) फर्नीचर और फिक्स्चर	169.23	-	-	169.23	97.78	15.02	-	112.80	56.43	71.45
(च) परिवहन वाहन	151.23	-	-	151.23	89.55	13.96	-	103.51	47.72	61.68
(छ) कार्यालय उपकरण	474.43	7.06	-	481.49	415.00	13.63	-	428.63	52.86	59.43
(ज) कंप्यूटर	1,253.56	3.32	(0.71)	1,256.17	1,085.80	60.84	(0.35)	1,146.29	109.88	167.76
(झ) उपयोग का अधिकार इंड एएस 116)*	13,270.10	2.38	-	13,272.48	2,031.55	539.85	-	2,571.40	10,701.08	11,238.55
कुल	**3,66,609.40**	**14.66**	**(0.71)**	**3,66,623.35**	**58,502.71**	**9,902.36**	**(0.35)**	**68,404.72**	**2,98,218.63**	**3,08,106.69**

*'टिप्पणी संख्या 31.1 और लेखा नीति संख्या 1.11 देखें

वित्तीय विवरण के संबंध में टिप्पणियाँ

टिप्पणी संख्या 2.1: पूंजीगत कार्य प्रगति पर

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 3: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (पाइपलाइन के लिए आरओयू)

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में सकल ब्लॉक	7,150.36	7,150.39
वर्ष के दौरान अन्य परिसंपत्तियों से परिवर्धन/अंतरण	2.31	(0.03)
निपटान/कटौती/हस्तांतरण/पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत तक सकल ब्लॉक	**7,152.67**	**7,150.36**
वर्ष के आरंभ में परिशोधन	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
निपटान/कटौती/हस्तांतरण/पुनर्वर्गीकरण	-	-
वर्ष के अंत तक परिशोधन	**-**	**-**
निवल ब्लॉक	**7,152.67**	**7,150.36**
टिप्पणी: पाइपलाइन के लिए आरओयू सतत आधार पर अधिगृहीत की जाती है, इसलिए कोई परिशोधन नहीं किया जा रहा है।		

टिप्पणी संख्या 4: ऋण

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 5: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूति जमा	699.16	701.30
प्रवेश कर, कर्नाटक से वसूली योग्य (बीजी नकदीकरण के सापेक्ष)	74.64	74.64
सावधि जमा (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ) **(टिप्पणी क देखें)**	2.41	2.29
एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमाराशि [टिप्पणी संख्या 40 (xli) देखें]	-	5,000.46
एसकेईसी केसीटी जेवी मामले मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमाराशि [टिप्पणी संख्या 40 (xliii) देखें]	6,072.94	-
कुल	**6,849.15**	**5,778.69**

टिप्पणी क :– इसमें वैधानिक प्राधिकरण के पक्ष में निर्धारित सावधि जमा/वैधानिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत बैंक गारंटी (बीजी) के सापेक्ष सावधि जमा (उस पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल है:– 2.41 लाख (वार्षिक वर्ष 2.29 लाख)

टिप्पणी संख्या 6: आयकर परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2018–19)	14.16	14.16
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2019–20)	15.71	15.71
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2020–21)	38.13	38.13
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2021–22)	104.01	104.01
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2022–23)	728.39	728.39
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2023–24)	86.96	86.96
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2024–25)	183.13	174.41
आयकर परिसंपत्तियां (वित्त वर्ष 2025–26)	619.10	-
कुल	**1,789.59**	**1,161.77**

टिप्पणी संख्या 7: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
(परिशोधित लागत पर शोध्य मानी गई अप्रतिभूत राशि)		
चरण II परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को पूंजीगत अग्रिम	20,657.27	17,644.84
भूमि अधिग्रहण चरण I विस्तार भूमि के लिए एमएसईजेडएल को पूंजीगत अग्रिम	11,269.39	2,269.39
पूर्वदत्त व्यय	33.09	152.37
एलआईसी के साथ छुट्टी नकदीकरण निधि (बीमांकिक देयता का अधिशेष)	2.51	-
कुल	**31,962.26**	**20,066.60**

टिप्पणी संख्या 8: व्यापार प्राप्य

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
संबंधित पक्षकार से		
प्रतिभूत, शोध्य	-	-
अप्रतिभूत, शोध्य	-	-
संदिग्ध	-	-
अन्य से		
प्रतिभूति, शोध्य	-	-
अप्रतिभूत, शोध्य	0.12	69.59
संदिग्ध	-	-
कुल	**0.12**	**69.59**

व्यापार प्राप्य एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2024–25

₹ लाख में

विवरण	6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	0.12	-	-	-	-	**0.12**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-

व्यापार प्राप्य एजेइंग शेड्यूल
भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2023–24

						₹ लाख में
विवरण	6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य माने गए	69.59	-	-	-	-	69.59
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य शोध्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 9: नकदी और नकदी समतुल्य

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
बैंकों के पास शेष राशि चालू खातों में	160.29	54.74
बैंक जमा में सावधि जमा (तीन माह तक की मूल परिपक्वता अवधि)	377.20	961.03
नकदी शेष : हाथ में नकदी	0.40	-
कुल	**537.89**	**1,015.77**

टिप्पणी संख्या 10: उपरोक्त के अलावा अन्य बैंक शेष

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
बैंकों के पास जमा राशि सावधि जमा (तीन माह से अधिक किंतु एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) **(टिप्पणी क देखें)**	12,934.94	3,816.69
बैंक के पास निर्धारित शेष राशि (टिप्पणी ख देखें) बचत खातों में (केन्द्रीय नोडल एजेंसी)	0.00	5,455.44
आरबीआई के साथ ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) में	-	-
कुल	**12,934.94**	**9,272.13**

टिप्पणी क :– (i) चरण II परियोजना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष सावधि जमा (उस पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल है: – शून्य (विगत वर्ष 2,433.97 लाख)।

(ii) न्यायालयों में प्रस्तुत बैंक गारंटियों (बीजी) के सापेक्ष सावधि जमा (उस पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल है :– 6,267.02 लाख (विगत वर्ष शून्य)।

टिप्पणी ख :– शेष राशि विशिष्ट योजना(यों) के सापेक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त अनुदान को दर्शाती है और इसका उपयोग केवल उसी के सापेक्ष किया जा सकता है।

टिप्पणी संख्या 11: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
(अप्रतिभूत को परिशोधित लागत पर शोध्य)		
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम व्यय)	544.11	631.13
एचपीसीएल से प्राप्य (ओ एंड एम के अलावा)	-	7.08
एडीएनओसी से वसूल किए जाने योग्य प्रचालन एवं अन्य व्यय	1.71	63.41
अन्य प्राप्य राशियां	65.42	398.28
अर्जित आय	80.77	84.76
ओआईडीबी से प्राप्य राशि (पूर्व परियोजना व्यय चरण II)	10.17	15.34
भारत सरकार से प्राप्य राशि (चरण 1 विस्तार भूमि के लिए)	1,343.35	9,700.95
एस.के.ई.सी.–के.सी.टी. जे.वी. मामले के लिए भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्य	-	11,721.68
कुल	**2,045.53**	**22,622.63**

टिप्पणी संख्या 12: अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
(अप्रतिभूति जिन्हें शोध्य माना गया)		
ओआईडीबी से वसूल किए जाने योग्य व्यय	0.03	0.12
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम राशि	9.73	8.58
आपूर्तिकर्ताओं को पूंजी अग्रिम	79.20	10.97
विद्युत कंपनियों के पास प्रतिभूति जमा पर उपार्जित ब्याज	28.27	28.31
कर्मचारियों को अग्रिम	1.05	3.06
चरण I के लिए ओ एंड एम व्यय के सापेक्ष भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्य राशि	792.68	-
पूर्वदत्त व्यय	421.51	1,144.87
जीएसटी क्रेडिट प्राप्य	286.21	622.79
कुल	**1,618.68**	**1,818.70**

टिप्पणी संख्या 13: शेयर पूंजी

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
	शेयर की संख्या	मात्रा	शेयर की संख्या	मात्रा
इक्विटी शेयर पूंजी **(क) अधिकृत** ₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर।	3,832,560,000	3,83,256.00	3,832,560,000	3,83,256.00
(ख) निर्गत, अभिदत्त, पूर्ण संदत्त ₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर।	3,790,054,670	3,79,005.47	3,790,054,670	3,79,005.47

टिप्पणियाँः

(i) इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर		
प्रारम्भिक जमा	3,790,054,670	3,790,054,670
निर्गत इक्विटी शेयर का आरंभिक शेष	-	-
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-
अंत शेष	3,790,054,670	3,790,054,670

(ii) होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित शेयर :

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी
₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	3,790,054,670	100%	3,790,054,670	100%
कुल	**3,790,054,670**	**100%**	**3,790,054,670**	**100%**

(iii) 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	
	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी	धारित शेयरों की संख्या	उस श्रेणी के शेयरों में % हिस्सेदारी
₹10/– के प्रति इक्विटी शेयर				
तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली और इसके नामित सदस्य	37900,54,670	100%	37900,54,670	100%
कुल	**37900,54,670**	**100%**	**37900,54,670**	**100%**

(iv) प्रमोटर शेयरधारिता पैटर्न

वर्ष 2024–25 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
तेल उद्योग विकास बोर्ड	100%	शून्य

वर्ष 2023–24 के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
तेल उद्योग विकास बोर्ड	100%	शून्य

(v) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य ₹10 प्रति शेयर है और धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(vi) तुलन–पत्र की तारीख से पिछले पांच वर्षों की अवधि के लिए :

(क) नकदी भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा (संविदाओं) के अनुसार पूर्णतः संदत्त शेयरों की संख्या और श्रेणी	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्णतः संदत्त शेयरों की श्रेणी की कुल संख्या तथा	शून्य
(ग) शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी तथा वापस खरीदे गए शेयरों की श्रेणी	शून्य

टिप्पणी संख्या 14: अन्य इक्विटी

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिधारित आय का शेष :		
पिछले वर्ष के खातों से अग्रेणीत शेष हानि	(72,038.39)	(63,168.45)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	(74.09)	-
निर्गत इक्विटी शेयर पर स्टाम्प ड्यूटी	-	-
वर्ष के लाभ / (हानि)	(4,950.47)	(8,864.58)
अन्य व्यापक आय	5.50	(5.36)
कुल	**(77,057.45)**	**(72,038.39)**

टिप्पणी संख्या 15: पट्टा देयताएं

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
पट्टा देयताएं	746.19	552.31
कुल	**746.19**	**552.31**

टिप्पणी संख्या 16: अन्य वित्तीय देयताएं

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
आपूर्तिकर्ताओं / संविदाकारों से जमा / प्रतिधारण राशि	21.85	22.28
कुल	**21.85**	**22.28**

टिप्पणी संख्या 17: प्रावधान

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(क) अवकाश नकदीकरण	-	2.23
(ख) ग्रेच्युटी	3.17	5.22
कुल	**3.17**	**7.45**

टिप्पणी संख्या 18: उधारियां

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी संख्या 19: पट्टा देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
पट्टा देयताएं	228.40	4.15
कुल	**228.40**	**4.15**

टिप्पणी संख्या 20: व्यापार देयताएं

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया	273.23	346.95
ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	2,501.76	1,812.49
कुल	**2,774.99**	**2,159.44**

व्यापार देयताओं की एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2024–25

₹ लाख में

विवरण	अदेय	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	248.94	24.29	-	-	-	273.23
(ii) अन्य	2,500.57	0.89	0.13	0.10	0.07	2,501.76
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-

व्यापार देयताओं की एजेइंग शेड्यूल

भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया – वित्तीय वर्ष 2024–25

₹ लाख में

विवरण	अदेय	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	346.95	-	-	-	-	346.95
(ii) अन्य	1,779.10	0.28	33.04	0.07	-	1,812.49
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य		-	-	-	-	-

	₹ लाख में	₹ लाख में
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित विवरण	**2024-25**	**2023-24**
(क) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त रही बकाया राशि;		
मूलधन	273.23	346.95
ब्याज	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	-	-
(ग) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अदत्त ब्याज की राशि तथा	-	-
(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तारीख तक, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है, बकाया और आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि।	-	-

टिप्पणी संख्या 21: अन्य वित्तीय देयताएं

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
अन्य		
एमएसईजेडएल भूमि की खरीद के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधियां	9,200.00	4,000.00
भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त निधियां चरण II	22,725.00	21,000.00
प्रथम चरण के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिए भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि	-	1,058.19
ओआईडीबी से ब्याज मुक्त अप्रतिभूत अस्थायी अग्रिम [टिप्पणी संख्या 40 (xliv)] देखें,	12,145.89	-
चरण–1 विस्तारित भूमि के लिए एमएसईजेडएल को देय राशि	1,143.35	9,700.95
आरओयू के पाइपलाइन मुआवजे के लिए एसएलएओ मैंगलोर को देय राशि	48.72	49.41
आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों से जमा राशि	961.55	1,082.85
कुल	**46,224.51**	**36,891.40**

टिप्पणी संख्या 22: प्रावधान

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
(क) छुट्टी नकदीकरण	-	0.79
(ख) ग्रेच्युटी	0.47	0.08
कुल	**0.47**	**0.87**

टिप्पणी संख्या 23: अन्य चालू देयताएं

	₹ लाख में	₹ लाख में
विवरण	31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय	129.50	131.25
एचसीसी के मध्यस्थता मामले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने हेतु भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निधियां [टिप्पणी संख्या 40(xlii)] देखें,	-	5,000.46
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (एपी जीजीएसटी)	3.22	406.25
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (पादुर जीएसटी)	257.59	199.19
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (अनुदान/अन्य निधि पर ब्याज और उस पर टीडीएस)	1,080.89	2,261.76
ओआईडीबी को देय (ब्याज और टीडीएस)	223.71	-
एचपीसीएल विजाग को देय	97.28	97.28
चरण I के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के लिए भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि	-	651.22
भारत सरकार को देय ओ एंड एम व्यय (एडीएनओसी व्यय)	1.71	63.41
भारत सरकार को देय प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (एसडी/अग्रिम)	11.50	11.50
रॉक बिक्री पर टीसीएस के लिए संविदा/एमएसईजेडएल को देय राशि	20.94	13.28
कानूनी निर्णय के सापेक्ष एसकेईसी–केसीटीजेवी को देय	-	11,721.68
अन्य	12.61	12.61
कुल	**1,838.95**	**20,569.89**

टिप्पणी संख्या 24: प्रचालन से राजस्व

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
घरेलू राजस्व		
कैवर्न्स का पट्टा/किराए पर लेना	4,507.66	893.54
पट्टे/किराए के लिए पंपिंग शुल्क (₹79.65 लाख (पिछले वर्ष ₹25.68 शून्य) की अबिलीकृत आय सहित)	516.85	96.15
एमआरपीएल से प्रचालन आय (₹ शून्य लाख की अबिलीकृत आय सहित (पिछले वर्ष : ₹57.84)	6.42	58.05
कुल	**5,030.93**	**1,047.74**

टिप्पणी संख्या 25: अन्य आय (ओ एंड एम अनुदान सहित)

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
भारत सरकार से ओ एंड एम अनुदान	10,956.62	13,076.14
व्यय की प्रतिपूर्ति	693.14	945.90
विद्युत कंपनियों के पास प्रतिभूति जमा पर ब्याज	31.42	31.46
बैंक जमा पर ब्याज	1,500.90	369.04
ओआईडीबी से अनुदान का परिशोधन (चरण II)	39.77	-
रॉक की बिक्री से आय	269.85	108.36
आयकर प्रतिदाय पर ब्याज	8.72	0.86
अन्य विविध आय	22.73	-
विनिमय दर में उतार–चढ़ाव	-	1.22
कुल	**13,523.15**	**14,532.98**

टिप्पणी संख्या 26: कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
वेतन और मजदूरी	1,278.66	1,229.95
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	10.85	19.20
कर्मचारी कल्याण व्यय*	-	-
कुल	**1,289.51**	**1,249.15**

* कर्मचारी कल्याण व्यय को टिप्पणी संख्या 29.1 के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी संख्या 27: वित्तीय लागत

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
पट्टा देयताओं पर ब्याज (इंड एएएस 116)	81.18	41.59
कुल	**81.18**	**41.59**

टिप्पणी संख्या 28: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
मूल्यह्रास	9,222.46	9,362.51
पट्टा किराये का परिशोधन (पट्टा भूमि)	732.94	539.85
कुल	**9,955.40**	**9,902.36**

टिप्पणी संख्या 29.1: संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
ओ एंड एम व्यय		
उपभोज्य संबंधी व्यय	255.82	277.75
बीमा प्रीमियम	1,848.75	3,832.50
पट्टा किराया प्रभार	69.42	242.17
प्रचालन लागत	201.32	211.72
मरम्मत और अनुरक्षण	635.61	982.43
बैंक प्रभार	0.04	0.16
त्यौहारों संबंधी व्यय	7.39	5.99
कानूनी एवं अन्य पेशेवर व्यय	125.34	214.30
कार्यालय व्यय	85.77	87.25
स्टेशनरी व्यय	2.73	5.22
टेलीफोन व्यय	22.07	23.02
पर्यटन एवं प्रशिक्षण	29.10	12.24
वाहन किराये पर लेने का व्यय	38.16	137.25
बिजली प्रभार	1,587.09	1,629.17
साफ–सफाई प्रभार	104.88	105.63
जनशक्ति – संविदात्मक और अन्य	2,381.15	2,063.36
एमएसईजेडएल ओ एंड एम व्यय	220.93	202.51
आवधिक सांविधिक व्यय	174.17	218.10
प्रतिभूति प्रभार	2,214.38	1,962.44
व्हारफेज/सर्वेयर प्रभार	3.10	27.20
हरित पट्टी विकास	39.76	49.16
एचओ व्यय **(नीचे विवरण देखें)**	391.70	293.70
परियोजना पूर्व व्यय (पीएफआर/डीएफआर)–नई परियोजनाएं	470.41	365.19
कुल	**10,909.09**	**12,948.46**

एचओ व्यय का ब्यौरा

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
सामान्य कार्यालय व्यय	32.40	35.78
विज्ञापन व्यय	0.75	7.05
लेखा परीक्षा, कानूनी पेशेवर और तकनीकी परामर्श	63.95	37.53
व्यावसायिक प्रचार व्यय	53.17	18.71
त्योहारों का व्यय	8.54	7.51
आईटी उपकरण और एएमसी	23.60	21.73
जनशक्ति संविदात्मक और अन्य	103.86	83.35
ओआईडीबी किराया और अनुरक्षण शुल्क	63.06	18.20
बीमा व्यय	3.05	1.09
प्रशिक्षण और सेमिनार व्यय	13.46	11.26
यात्रा व्यय	21.84	40.38
वाहन किराया व्यय	4.02	11.11
कुल	**391.70**	**293.70**

टिप्पणी संख्या 29.2: चरण II परियोजना के लिए व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
चरण II के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) व्यय	39.77	-
कुल	**39.77**	**-**

टिप्पणी संख्या 29.3: ब्याज व्यय (प्रतिपूर्ति)

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
अन्य ब्याज व्यय	1,226.89	303.34
कुल	**1,226.89**	**303.34**

टिप्पणी संख्या 29.4: विविध व्यय

विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
बैंक प्रभार	-	0.05
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के बट्टे खाते में डालने पर हानि एवं अन्य शेष	1.00	0.35
अन्य व्यय	1.71	-
कुल	**2.71**	**0.40**

टिप्पणी संख्या 30: भारतीय लेखांकन मानक – 33 के तहत ईपीएस का प्रकटीकरण

टिप्पणी	विवरण	₹ लाख में 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार	₹ लाख में 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
(i)	**प्रति शेयर आय**		
	बेसिक		
	इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(4,944.97)	(8,869.94)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	3,790,054,670	3,790,054,670
	प्रति शेयर सममूल्य	10.00	10.00
	सतत प्रचालन से प्रति शेयर हानि – बेसिक	(0.13)	(0.23)
(ii)	**तनुकृत**		
	इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(4,944.97)	(8,869.94)
	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत के लिए	3,790,054,670	3,790,054,670
	प्रति शेयर सममूल्य	10.00	10.00
	सतत प्रचालन से प्रति शेयर हानि – तनुकृत	(0.13)	(0.23)

टिप्पणी संख्या 31: पट्टे, प्रतिबद्धताएं और आकस्मिकताएं

31.1 पट्टे

(क) **पट्टेदार के रूप में**

(i) कंपनी ने भूमि से संबंधित पट्टा व्यवस्था की है। समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत कोई बिक्री और पट्टा वापसी लेनदेन व्यवस्था नहीं है।

पट्टा–धारित भूमि के लिए महत्वपूर्ण पट्टों का विवरण निम्नानुसार है :–

(क) विशाखापत्तनम में 37 एकड़ भूमि के लिए 30 वर्ष की अवधि (14.05.2038 तक) के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के साथ करार (टिप्पणी संख्या 40(XV) भी देखें)।

(ख) मैंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ 50 वर्ष की अवधि (26.01.2060 तक) के लिए मैंगलोर में 104.73 एकड़ भूमि के लिए करार, जिसमें 33.0066 एकड़ हरित पट्टी क्षेत्र शामिल है (टिप्पणी संख्या 40 (XV) देखें)।

(ग) पादुर में 138.57 एकड़ भूमि के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ 20 वर्ष की अवधि (101.815 एकड़) 28.05.2030 तक और 36.775 एकड़ 18.12.2031 तक) के लिए करार।

(घ) पादुर में 37.35 एकड़ भूमि के लिए 15 वर्ष की अवधि (14.11.2032 तक) के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के साथ करार।

(ii) **लाभ और हानि का विवरण खाते में मान्य राशि या उपयोग के अधिकार की वहन राशि :**

	₹ लाख में 2024-25	2023-24
- उपयोग के अधिकार के रूप में पूंजीकृत पूर्वदत्त पट्टा किराया	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपयोग के अधिकार और पट्टा दायित्व में वृद्धि	909.63	2.38
- पूर्वदत्त पट्टा किराये पर मान्य मूल्यह्रास	732.94	539.85
- पट्टा दायित्व पर ब्याज	81.18	41.59
- वृद्धिशील उधार दर	7.94%	7.94%
- पट्टा किराया भुगतान	280.85	45.08

भावी नकदी बहिर्वाह की मदों का विवरण, जिनका कंपनी को पट्टे के रूप में प्रकटन किया गया है, लेकिन पट्टा देयताओं के माप में परिलक्षित नहीं होता है, निम्नानुसार है :

(क) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान

परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, जिसे पट्टा देयता के मापन में शामिल किया जाता है, हालांकि प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है। सामान्य उद्योग परिपाटियों के अनुसार, कंपनी विभिन्न परिवर्तनीय पट्टा भुगतान करती है जो किसी भी सूचकांक या दर (कवर किए गए केएमएस या बिक्री के प्रतिशत आदि के आधार पर परिवर्तनीय) पर आधारित नहीं होते हैं और उन्हें लाभ या हानि में मान्य किया जाता है और पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं किया जाता है।

(ख) विस्तार और समाप्ति विकल्प

कंपनी पट्टा व्यवस्था में केवल प्रचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विस्तार विकल्प शामिल है। कंपनी प्रत्येक पट्टा प्रारंभण पर यह आकलन करती है कि क्या विस्तार विकल्पों का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है और आगे यह पुनः आकलन करती है कि क्या उसके नियंत्रण में परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर विकल्प का प्रयोग करना उचित रूप से निश्चित है। हालाँकि, जहाँ कंपनी के पास संविदा को विस्तारित करने का एकमात्र विवेक है, वहाँ ऐसी पट्टा अवधि को पट्टा देयताओं की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाता है।

(iii) अवशिष्ट मूल्य गारंटी

इसमें कोई अवशिष्ट मूल्य की गारंटी नहीं है।

(iv) प्रतिबद्ध पट्टे, जिन्हें अभी प्रारंभ किया जाना है

मैंगलोर में चरण 1 विस्तार के लिए 154.90 एकड़ भूमि (28.11 एकड़ हरित पट्टी और 126.79 एकड़ पट्टा योग्य क्षेत्र) के अधिग्रहण के लिए एमएसईजेडएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आवश्यक भुगतान और भूमि के अध्यावास के बाद, पट्टा प्रारंभ हो जाएगा।

(ख) पट्टादाता

प्रचालनात्मक पट्टा

संबंधित करारों में उल्लिखित किराये के अनुसार इन विवरणों में आय के रूप में मान्य पट्टा किराया :

₹ लाख में

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान आय के रूप में मान्य पट्टा किराया		
- परिवर्तनीय पट्टा	4,507.66	893.54
- अन्य	-	-

यह विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता से संबंधित है, जो एचपीसीएल को उनके कच्चे तेल के भंडारण के लिए दी गई है, तथा तेल की कमी की स्थिति में भारत सरकार के पास वापसी का पहला अधिकार है।

रिपोर्टिंग तिथि के बाद प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले पट्टा भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाख में

विवरण	2024-25	2023-24
एक वर्ष से कम	4,568.51	4,450.67
एक से दो वर्ष	3,647.44	4,450.67
दो से तीन वर्ष	-	3,553.35
तीन से चार वर्ष	-	-
चार से पांच वर्ष	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**8,215.94**	**12,454.68**

31.2 आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण

(क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के सापेक्ष आकस्मिक देयताएं दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है, जिनकी राशि ₹98,074.19 लाख है (पिछले वर्षः ₹65,644.98 लाख) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क) विशाखापत्तनम में खदान और भूविज्ञान विभाग द्वारा ₹ 11,795.03 लाख (पिछले वर्षः ₹ 11,795.03 लाख) रॉयल्टी की विवादित मांग।

ख) विभिन्न स्थलों पर किए गए परियोजनाओं के कारण संविदाकारों द्वारा किए गए ₹ 85,849.66 लाख (पिछले वर्ष : ₹ 53,405.00 लाख) के विवादित दावों को ईआईएल द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके लिए मामले मध्यस्थ न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जिसके सापेक्ष ₹ 10,914.44 लाख (पिछले वर्ष : ₹ 4,841.51 लाख) की राशि उच्च न्यायालय में जमा है।

ग) प्रवेश कर के संबंध में ₹74.64 लाख (पिछले वर्ष : ₹74.64 लाख) की विवादित मांग। कंपनी ने प्रवेश कर के विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवर्तित कर समाधान योजना का लाभ उठाया है। कंपनी के अनुसार कोई देयता नहीं है और कंपनी ने प्रवेश कर के लिए ₹74.64 लाख की जबरन वसूली के सापेक्ष रिट याचिका दायर की है और मामला माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। तदनुसार, वित्तीय विवरण में "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" के अंतर्गत ₹74.64 लाख की राशि दर्शाई जा रही है।

घ) मैंगलोर में पाइपलाइन आरओयू के संबंध में ₹ शून्य की विवादित मांगें (पिछले वर्षः ₹22.73 लाख) जिसके लिए मामला जिला न्यायालय, मैंगलोर के समक्ष लंबित है।

ङ) जीएसटी प्राधिकरण द्वारा आईएसपीआरएल की ओर से वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि के लिए खदान एवं भूविज्ञान विभाग में संविदाकार द्वारा जमा की गई रॉयल्टी की राशि के लिए आरसीएम आधार पर देयता के लिए ₹125.73 लाख (पिछले वर्षः ₹119.15 लाख) की राशि के नोटिस/सूचनाएं प्रदान की गईं। आईएसपीआरएल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जीएसटी प्राधिकरण द्वारा उठाई गई अनुचित मांग को रद्द करने के लिए 06.11.2023 को कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.11.2023 के आदेश के तहत मांग के स्थगन पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, आईएसपीआरएल ने वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए जीएसटी प्राधिकरण द्वारा की गई गलत मांग को रद्द करने के लिए 30.10.2024 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 14 मार्च 2025 के आदेश के तहत मांग के निर्णय पर स्थगन आदेश दिया है।

च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1043(3)/154 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19, 2022–23 और 2023–24 के लिए उठाई गई ₹229.13 लाख (पिछले वर्षः ₹228.43 लाख) की मांग के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।

(ख) आकस्मिक परिसंपत्तियां -

एलएफपी से मैंगलोर/पादुर कैवर्न तक इंटरमीडिएट वाल्व स्टेशन (आईवीएस) के माध्यम से पाइपलाइन बिछाने के संविदा के संबंध में आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मामले में आईएसपीआरएल के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय के लिए ₹135.27 लाख (पिछले वर्षः ₹126.79 लाख)। मध्यस्थता निर्णय को अन्य पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, माननीय एनसीएलएटी ने आईएलएंडएफएस और उसकी समूह कंपनियों के विरुद्ध निर्णयों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। न्यायालय द्वारा अनुमति मिलते ही इस मामले में क्रियान्वयन दायर कर दिया जाएगा।

(ग) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

1. मैंगलोर में चरण 1 विस्तार भूमि के लिए समझौता ज्ञापन के अनुरूप एमएसईजेडएल को ₹ 11,803.41 लाख (पिछले वर्षः ₹11,803.41 लाख) के पट्टा भुगतान की अनुमानित राशि।
2. कर्नाटक सरकार द्वारा 22 फरवरी 2023 को पादुर में 214.79 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। 31 मार्च 2025 तक केआईएडीबी से भूमि अधिग्रहण (भूमि मालिकों के पुनर्वास हेतु भुगतान सहित) पर ₹ 20,657.27 लाख की राशि व्यय की गई है। चरण II के लिए आकस्मिक व्यय के कारण पूंजी प्रतिबद्धता के सापेक्ष ₹20 लाख (पिछले वर्षः शून्य) की अनुमानित राशि।
3. कंपनी द्वारा भौतिक अनुबंधों (अग्रिम को घटाकर) के प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों के लिए ₹1,103.46 लाख (पिछले वर्षः शून्य) की अन्य पूंजी प्रतिबद्धता।

टिप्पणी संख्या 32: संबंधित पक्षकार लेनदेन :-

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

विवरण

संबंधित पक्षकारों का विवरण :

संबंध का विवरण	संबंधित पक्षकारों के नाम
होल्डिंग कंपनी	तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की कंपनी में 100% इक्विटी है
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	1. श्री एल. आर. जैन, मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक, आईएसपीआरएल 2. श्री जी.के. सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, आईएसपीआरएल (04.05.2024 तक) 3. श्री अजय दशोरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक [(अतिरिक्त प्रभार) (15.05.2024 से 09.06.2024 तक)] 4. श्री दीपक कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आईएसपीआरएल (10.06.2024 से) 5. श्री अरुण तलवार, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (15.05.2023 तक) 6. सुश्री शिल्पी मोहंती, कंपनी सचिव, आईएसपीआरएल (06.06.2023 से)
	निदेशक मंडल (पदेन) 1. श्री पंकज जैन, अध्यक्ष 2. श्री प्रवीण एम. खनूजा, निदेशक 3. सुश्री कामिनी चौहान रतन, निदेशक 4. सुश्री ईशा श्रीवास्तव, निदेशक 5. सुश्री वर्षा सिन्हा, निदेशक

(i) संबंधित पक्षकारों का विवरण :

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पारिश्रमिक	प्रतिपूर्ति, आदि	पारिश्रमिक	प्रतिपूर्ति, आदि
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक - श्री एल.आर. जैन	86.15	0.71	82.18	0.73
मुख्य वित्तीय अधिकारी* - श्री जी.के. सिंह - श्री अजय दशोरे - श्री दीपक कुमार	30.93 6.35 50.86	0.07 0.00 0.29	91.32 0.00 0.00	0.79 0.00 0.15
कंपनी सचिव* - सुश्री शिल्पी मोहंती - श्री अरुण तलवार	85.31 2.09	0.61 0.02	58.06 24.19	0.27 0.30
कुल	**261.69**	**1.70**	**255.75**	**2.24**

*संबंधित होल्डिंग कंपनी से प्राप्त डेबिट नोट्स के अनुसार।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री पर प्रतिफल	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री जी. के. सिंह	0.01	लागू नहीं
कुल	**0.01**	**0.00**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का हस्ता.ंतरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
श्री जी. के. सिंह	0.23	लागू नहीं
कुल	**0.23**	**0.00**

** परिसंपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर बहियों के अनुसार डब्ल्यूडीवी की राशि।

(ii) होल्डिंग कंपनी (ओआईडीबी)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय स्थान के लिए अनुरक्षण प्रभार	63.06	18.20
चरण II व्यय के लिए अनुदान (वर्ष के दौरान प्राप्त)	44.94	350.00
चरण II के लिए अनुदान (प्राप्य)	10.17	15.34
ओआईडीबी की ओर से किया गया व्यय	0.03	0.12
चरण II के लिए अप्रयुक्त अनुदान की वापसी	-	51.19
ओआईडीबी से प्राप्त ब्याज मुक्त अप्रतिभूत अग्रिम	12,145.89	-
अप्रतिभूत अग्रिम पर ओआईडीबी को दिया गया ब्याज	72.60	-
अप्रतिभूत अग्रिम पर ओआईडीबी को देय ब्याज	223.71	-

संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष :

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
होल्डिंग कंपनी (ओआईडीबी)		
उनकी ओर से किए गए व्यय के लिए ओआईडीबी से वसूली योग्य	0.03	0.12
कार्यालय स्थान के अनुरक्षण प्रभार के लिए ओआईडीबी को देय	63.06	18.20
चरण II के लिए प्राप्य अनुदान	10.17	15.34
ओआईडीबी से प्राप्त ब्याज मुक्त प्रतिभूत अग्रिम	12,145.89	-
अप्रतिभूत अग्रिम पर ओआईडीबी को देय ब्याज	223.71	-

टिप्पणीः कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) और भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत 'संबंधित पक्षकार' नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी द्वारा उनके साथ किए गए लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत संबंधित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी संख्या 33ः खंड रिपोर्टिंग

1. कंपनी भारत सरकार के लिए कच्चे तेल के सरकारी भंडार के लिए भंडारण परिसंपत्तियां बना रही है और ऐसी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण भी कर रही है। इसे एक ही प्राथमिक खंड माना जाता है।
2. भौगोलिक जानकारी लागू नहीं है क्योंकि कंपनी का सम्पूर्ण प्रचालन भारत के भीतर होता है।

टिप्पणी संख्या 34ः वित्तीय लिखत

श्रेणी के अनुसार वित्तीय लिखत

1. प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकदी समकक्षों, अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों, व्यापार देयताओं, अल्पावधि उधारों और अन्य चालू वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य उनकी वहन राशि के लगभग बराबर है।
2. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर लिखत को बलात् या परिसमापन बिक्री के अलावा, इच्छुक पक्षकारों के बीच चालू लेनदेन में विनिमय किया जा सकता है।
3. उचित मूल्य पदानुक्रम के संबंध में उपरोक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

टिप्पणी संख्या 35ः वित्तीय लिखत

1) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमोंः बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम – के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। कंपनी का प्राथमिक फोकस वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय

प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के लिए प्राथमिक बाजार जोखिम ब्याज दर जोखिम है। कंपनी के संचालन और अनुरक्षण व्यय जीबीएस से पूरे किए जाते हैं, इसलिए यह किसी भी भौतिक ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय राशियाँ और प्रतिभूति जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालन को वित्तपोषित करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्य, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ और नकदी/नकदी समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं।

वर्तमान में कंपनी प्राकृतिक व्यावसायिक जोखिमों के साथ–साथ वित्तीय लिखतों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी वित्तीय जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिसमें ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों से संबंधित बाजार जोखिम शामिल है। वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम अभिशासन ढांचे के साथ इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है।

2) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की कीमतों में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैः मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधार, जमा, निवेश और डेरिवेटिव वित्तीय लिखत शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। वर्तमान में कंपनी की वित्तीय लिखत किसी भी भौतिक बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है।

3) ऋण जोखिम

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा किया जाता है, जो ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और नियंत्रण के अधीन है। ग्राहक की ऋण गुणवत्ता का मूल्यांकन व्यापक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है और बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्तमान में कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं।

4) चलनिधि जोखिम

कंपनी अपनी निधियों के अभाव के जोखिम पर कड़ी निगरानी रखती है। कंपनी होल्डिंग कंपनी से अल्पकालिक उधारी तक पहुंच बनाए रखकर अपनी चलनिधि आवश्यकता का प्रबंधन करने का आशय रखती है।

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

₹ लाख में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	2,774.99	-	-	-	2,774.99
पट्टा देयताएं	228.40	179.05	36.92	530.22	974.59
अन्य वित्तीय देयताएं	46,224.51	21.02	0.83	-	46,246.36
कुल	**49,227.90**	**200.07**	**37.75**	**530.22**	**49,995.94**

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

₹ लाख में

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–4 वर्ष	4 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	-	-	-	-	-
व्यापार देयताएं	2,159.44	-	-	-	2,159.44
पट्टा देयताएं	4.51	4.48	10.05	537.42	556.46
अन्य वित्तीय देयताएं	36,891.40	17.45	4.83	-	36,913.68
कुल	**39,055.35**	**21.93**	**14.88**	**537.42**	**39,629.58**

टिप्पणी संख्या 36: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु।

चरण I के अंतर्गत : पूंजी में निर्गत इक्विटी पूंजी और इक्विटी धारकों को आरोप्य सभी अन्य इक्विटी आरक्षित निधि शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है।

चरण–I विस्तार के अंतर्गत : मैंगलोर में चरण–I विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जीबीएस के माध्यम से किया जाएगा।

चरण II परियोजना के अंतर्गत : भूमि अधिग्रहण के लिए पूंजी का प्रबंधन भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जीबीएस के माध्यम से किया जा रहा है।

टिप्पणी संख्या 37: विदेशी मुद्रा में भुगतान (भारतीय रुपया समतुल्य)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा	4.49	शून्य
माल और सेवाओं के लिए भुगतान	शून्य	शून्य
कुल	**4.49**	**0.00**

टिप्पणी संख्या 38: विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां (भारतीय रुपया समतुल्य)

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एडनोक से प्राप्ति	64.62	302.85
यात्रा अग्रिम का प्रतिदाय	0.30	0.86
कुल	**64.92**	**303.71**

टिप्पणी संख्या 39: कर्मचारी हितलाभ प्रकटीकरण

(i) भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंड एएस 19) के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण

क. कंपनी द्वारा प्रदान की गई और गणना के लिए प्रयुक्त बीमांकिक धारणाएं नीचे सारणीबद्ध हैं:

विवरण	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
छूट की दर	7.00% प्रति वर्ष	7.25% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	10.00% प्रति वर्ष	12.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012–14	आईएएलएम 2012–14
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

ख. मूल्यांकित हितलाभ :

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन	अंतिम आहरित अर्हक वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26 * वेतन * विगत सेवा (वर्ष)	15/26 * वेतन * विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण समय से पहले नौकरी छोड़ने पर लाभ	जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिवाय इसके कि कोई निहित शर्तें लागू न हो	जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिवाय इसके कि कोई निहित शर्तें लागू न हो
सीमा	₹ 25,00,000	₹20,00,000

ग. प्रमुख परिणाम

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	₹ 22,01,674	₹ 21,12,602
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	₹ 18,37,525	₹ 15,82,938
तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता/(परिसंपत्ति)	₹ 3,64,149	₹ 5,29,664
वित्तपोषित स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	(₹ 3,64,149)	(₹ 5,29,664)

घ. निवल देयता का विभाजन

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	₹ 47,173	₹ 7,948
गैर चालू देयता (दीर्घावधि)	₹ 3,16,976	₹ 5,21,716
कुल देयता	₹ 3,64,149	₹ 5,29,664

ङ. लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
ब्याज लागत	₹ 1,53,164	₹ 69,319
वर्तमान सेवा लागत	₹ 4,66,912	₹ 5,63,501
पिछली सेवा लागत	₹ 0.00	₹ 0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(₹ 1,10,806)	(₹ 91,076)
लाभ और हानि में मान्य व्यय	₹ 5,09,270	₹ 5,41,744

च. अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनर्मुद्रण)

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
जनसांख्यिकी अवधारणाओं (मृत्यु दर) में परिवर्तन से बीमांकिक लाभ/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
अवधारणाओं में परिवर्तन से बीमांकिक (लाभ)/हानि	(₹ 5,47,971)	₹ 4,71,719
योजनागत देयताओं के लिए अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	₹ 16,967	₹ 83,807
योजनागत परिसंपत्तियों के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि	(₹ 18,959)	(₹ 19,070)
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(₹ 5,49,963)	₹ 5,36,456

(ii) भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19) के अनुसार अवकाश प्रकटीकरण विवरण

क. कंपनी द्वारा प्रदान की गई और गणना के लिए प्रयुक्त बीमांकिक धारणाएं सारणीबद्ध हैं:

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
छूट की दर	7.00 % प्रति वर्ष	7.25 % प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	10.00 % प्रति वर्ष	12.00 % प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
निकासी दर (प्रति वर्ष)	5.00% प्रति वष	5.00% प्रति वष

ख. मूल्यांकित हितलाभ :

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कंपनी के नियमों के अनुसार	कंपनी के नियमों के अनुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 * वेतन * छुट्टियों की संख्या.	1/30 * वेतन * छुट्टियों की संख्या.
समय–पूर्व निकासी पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन	उपरोक्तानुसार, कंपनी के नियमों के अध्यधीन

ग. प्रमुख परिणाम

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	₹ 30,77,148	₹ 31,90,374
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	₹ 33,28,016	₹ 28,88,017
तुलन–पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयता/(परिसंपत्ति)	(₹ 2,50,868)	₹ 3,02,357
वित्तपोषित स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	₹ 2,50,868	(₹ 3,02,357)

घ. निवल देयता का विभाजन

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	₹ 0.00	₹ 79,498
गैर चालू देयता (दीर्घावधि)	₹ 0.00	₹ 2,22,859
कुल देयता	₹ 0.00	₹ 3,02,357

ङ. लाभ–हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

अवधि	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार
ब्याज लागत	₹ 2,31,302	₹ 1,12,235
वर्तमान सेवा लागत	₹ 6,46,803	₹ 8,53,694
पिछली सेवा लागत	(₹ 2,02,161)	(₹ 1,54,763)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(₹ 10,24,412)	₹ 6,82,609
इस अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(₹ 3,48,468)	₹ 14,93,775
लाभ और हानि में मान्य व्यय		

टिप्पणी संख्या 40: अन्य टिप्पणी

40. अन्य टिप्पणियां

i) विवाद से विश्वास के अंतर्गत निपटाए गए मामले :–

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत लाभ उठाया था और पिछले वर्षो में ₹663.47 लाख का कर चुकाया गया है। मांग का निपटारा कर दिया गया है और विभाग द्वारा फॉर्म–5 जारी कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी मामले बंद कर दिए गए हैं। मांग को हटा दिया गया है, जबकि अतिरिक्त समायोजन दावे के लिए प्रतिदाय कर विभाग के समक्ष लंबित है।

ii) सॉवरेन क्रूड ऑयल रिजर्व को भारत सरकार की ओर से कंपनी के तीन स्थानों पादुर, मैंगलोर और विशाखापत्तनम में अभिरक्षक के रूप में रखा गया है। विशाखापत्तनम में कैवर्न बी का उपयोग एचपीसीएल द्वारा अपने संचालन के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में परिसंपत्ति पूरी तरह से एचपीसीएल के स्वामित्व में है। मैंगलोर में कैवर्न ए का उपयोग एडनोक द्वारा आईएसपीआरएल के साथ करार के तहत अपने स्वयं के कच्चे तेल के भंडारण के लिए किया जाता है और कच्चे तेल में परिसंपत्ति पूरी तरह से एडनोक के स्वामित्व में है (डेड स्टॉक को छोड़कर जो भारत सरकार के स्वामित्व में है)।

कंपनी ने विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता को एचपीसीएल को किराये/पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है और एचपीसीएल द्वारा संग्रहीत कच्चा तेल एचपीसीएल की परिसंपत्ति है, तथा तेल की कमी की स्थिति में भारत सरकार से इसे वापस लेने का पहला अधिकार है।

एमआरपीएल को 26.11.2024 को एलओए दिया गया और मैंगलोर स्थित 0.760 एमएमटी क्षमता वाले कैवर्न बी को किराए पर/पट्टे पर देने के लिए 06.01.2025 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एफटीडब्ल्यूजेड इकाई से संबंधित एमएसईजेडएल प्राधिकरणों से लंबित अनुमोदन के कारण एमआरपीएल कैवर्न का उपयोग शुरू नहीं कर पा रहा है। एमआरपीएल ने 13 मार्च 2025 के अपने पत्र के माध्यम से आईएसपीआरएल से कैवर्न की वास्तविक आर्थिक उपलब्धता के अधीन समझौते की शुरुआत को स्थगित करने का अनुरोध किया है।

कंपनी ने सॉवरेन क्रूड ऑयल के लेखांकन के संबंध में आईसीएआई से विशेषज्ञ सलाहकार राय प्राप्त की है। आईसीएआई से प्राप्त राय के अनुसार तथा लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड को दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरणों में सॉवरेन क्रूड ऑयल का लेखांकन नहीं किया जा रहा है तथा केवल लेखा संबंधी टिप्पणियों में सॉवरेन क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का प्रकटीकरण किया जा रहा है (टिप्पणी संख्या 1.1 देखें)।

भारत सरकार– कच्चा तेल		
विवरण	**31 मार्च, 2025 (मात्रा मीट्रिक टन में)**	**31 मार्च, 2024 (मात्रा मीट्रिक टन में)**
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेक्षक रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर में कैवर्न क में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक सहित) (क)	2,920,002.98	3,016,903.67
जोड़ें :– वर्ष के दौरान अधिप्राप्त :		
लदान बिल के अनुसार (ख)	-	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	-
घटाएँ:– वर्ष के दौरान बिक्री/हस्तांतरित (घ)	-	98,795.44
वर्ष के अंत तक वास्तविक के अनुसार निवल मात्रा (क+ग)–(घ)	2,920,002.98	2,918,108.23
वर्ष के अंत तक अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर में कैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक सहित)	2,921,957.35	2,920,002.98

एडनोक – कच्चा तेल		
विवरण	**31 मार्च, 2025 (मात्रा मीट्रिक टन में)**	**31 मार्च, 2024 (मात्रा मीट्रिक टन में)**
कच्चे तेल का प्रारंभिक स्टॉक (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (3,394.63 मीट्रिक टन के डेड स्टॉक को छोड़कर) (क)	4,21,588.49	4,21,775.48
जोड़ें:– वर्ष के दौरान अधिप्राप्त		
लदान बिल के अनुसार (ख)	-	-
सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक (ग)	-	-
घटाएँ :– वर्ष के दौरान एडनोक द्वारा हस्तांतरित (घ)	-	-
वर्ष के अंत तक वास्तविक के अनुसार निवल मात्रा (क+ग) – (घ)	4,21,588.49	4,21,775.48
वर्ष के अंत तक अभिरक्षा में कुल मात्रा (सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार) (मैंगलोर में कैवर्न ए में 3,394.63 मीट्रिक टन के डेडस्टॉक को छोड़कर)	4,21,420.04	4,21,588.49
टिप्पणी: हानियाँ स्वीकार्य उद्योग मानदंडों के भीतर हैं।		

₹ लाख में

विवरण	2024-25	2023-24
भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय (कच्चा तेल अनुदान)		
अवधि के आरंभ में भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय	84.61	84.61
जोड़ें:– वर्ष के दौरान कच्चे तेल के लिए प्राप्त राशि	-	-
जोड़ें:– ब्याज, अन्य प्राप्तियां और समायोजन	792.60	-
घटाएँ:– वर्ष के दौरान खरीदा गया कच्चा तेल (स्थानांतरण के बाद निवल) (समाशोधन और अन्य व्यय सहित)	-	-
घटाएँ:– भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की गई राशि	713.34	-
अवधि के अंत में भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/प्रतिदेय	163.87	84.61
टिप्पणी: 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय/ प्रतिदेय राशि आयकर विभाग से प्राप्य टीडीएस को दर्शाती है।		

ii) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कैबिनेट ने आईएसपीआरएल को निम्नलिखित तरीके से सुविधाओं और कच्चे तेल के व्यावसायीकरण की अनुमति दी है :–

क. कुल भंडारण क्षमता का 30% भारतीय या विदेशी कंपनियों को पट्टे/किराए पर देना। तथा

ख. कच्चे तेल की कुल भंडारण क्षमता के 20% की बिक्री/खरीद भारतीय कंपनियों को।

ग. कुल भंडारण क्षमता का शेष 50% सामरिक रहेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, 30% तक को पट्टे/किराए पर देने के माध्यम से वाणिज्यिक स्टॉक जारी करना और 20% तक कच्चे तेल की बिक्री खरीद का काम आईएसपीआरएल के बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। कच्चे तेल के 50% के सामरिक हिस्से में स्टॉक जारी करने का अधिकार अंतर–मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति के पास रहेगा।

पट्टे पर दी जाने वाली 30% भंडारण क्षमता के लिए कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त आय भारत सरकार को वापस कर दी जाएगी। साथ ही, सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री/खरीद को कंपनी के लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य नहीं किया गया है (टिप्पणी संख्या 1.1 देखें)। 20% कच्चे तेल की बिक्री से प्राप्त राजस्व आईएसपीआरएल की आय का हिस्सा बनेगा।

19 जनवरी, 2024 से एचपीसीएल को विशाखापत्तनम स्थान पर कैवर्न ए की 0.30 एमएमटी क्षमता को किराए पर / पट्टे पर देने के लिए एचपीसीएल के साथ करार किया है।

आईएसपीआरएल ने 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार 30% क्षमता से 1.298 एमएमटी सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री की है और इसकी आय भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापिस कर दी गई है। बेचे गए सॉवरेन क्रूड ऑयल में से 0.099 एमएमटी सॉवरेन क्रूड ऑयल चालू वर्ष के दौरान बेचा गया है।

₹ लाख में

सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री और भुगतान का विवरण	
31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि (तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर काटा गया टीडीएस)	537.81
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई बिक्री में से वर्ष के दौरान प्राप्त वसूली	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की गई राशि	-
31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार तक भारत सरकार/ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देय राशि (तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की बिक्री पर काटा गया टीडीएस)	537.81
टिप्पणी: तेल कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार पंपिंग चार्ज पर टीडीएस की कटौती के रूप में ₹3.76 लाख रुपये की राशि बकाया है। चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की बिक्री पर कोई पंपिंग शुल्क प्राप्त / प्राप्य नहीं है और तदनुसार 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार / पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ₹3.76 लाख रुपये की राशि देय है।	

iv) **(क) चरण II :-**

8 जुलाई, 2021 को भारत सरकार ने चरण II के तहत ओडिशा के चांदीखोल (4 एमएमटी) और कर्नाटक के पादुर II (2.5 एमएमटी) में वाणिज्यिक सह सामरिक पेट्रोलियम भंडार के विकास और पीपीपी मोड के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर समर्पित एसपीएम और संबंधित पाइपलाइनों के विकास को मंजूरी दी थी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और नीचे दी गई है:–

भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

पादुर :–

- भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है और स्थल पर सीमा निर्धारण का कार्य शुरू हो गया है। आईएसपीआरएल ने पुनर्वास एवं पुनर्वास पैकेज सहित भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को ₹206.27 करोड़ का भुगतान कर दिया है। आईएसपीआरएल इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केआईएडीबी और राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है।

- सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर आईएसपीआरएल पादुर चरण–II के लिए आरएफपी 19.12.2024 को पुनः जारी किया गया। 27.02.2025 की विस्तारित बोली तिथि पर कुल तीन बोलियाँ प्राप्त हुईं। तकनीकी रूप से योग्य तीनों बोलियों के मूल्यांकन की समीक्षा की गई है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समीक्षा पूरी होने के बाद आईएसपीआरएल बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएँगे।

चांदीखोल :

- ओडिशा के जाजपुर जिले के चांदीखोल में 400 एकड़ भूमि के लिए आवेदन सितंबर 2019 में ओडिशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था।
- दिसंबर 2022 में ओडिशा सरकार ने आईएसपीआरएल को ओडिशा में अन्य स्थलों की खोज करने का सुझाव दिया था। हालाँकि, वैकल्पिक भूमि की तलाश में होने वाली संभावित देरी और एक बार फिर व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए, आईएसपीआरएल ने जुलाई 2024 में ओडिशा सरकार से चांदीखोल में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया, जिसके लिए आईएसपीआरएल ने पहले ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया था और व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया था।
- 6 जनवरी 2025 को ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 38वीं उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (एचएलसीए) बैठक के दौरान, चांदीखोल के निकट जाजपुर में 8,743 करोड़ रुपये के निवेश से एसपीआर सुविधाओं की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- चांदीखोल परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आईएसपीआरएल और ओडिशा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- आईएसपीआरएल भूमि के शीघ्र आवंटन और उत्खनन गतिविधियों को बंद करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है।

(ख) मौजूदा एसपीआर के निकट मंगलौर में भूमि अधिग्रहण और व्यवहार्यता अध्ययन :–

- प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) ने फरवरी 2023 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद, आईएसपीआरएल ने मंगलौर में पट्टे के आधार पर 154.90 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए 17.03.2023 को एमएसईजेडएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 31.03.2025 तक एमएसईजेडएल को ₹112.69 करोड़ का भुगतान कर दिया है।
- आईएसपीआरएल ने विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ईआईएल को नियुक्त किया। ईआईएल ने जनवरी 2025 में मसौदा डीएफआर प्रस्तुत किया। यह संशोधनाधीन है और 1.75 एमएमटी की संशोधित क्षमता के साथ शीघ्र ही अपेक्षित है।
- डीएफआर के आधार पर, मंगलौर में अतिरिक्त कैवर्न्स के निर्माण का प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

(ग) बीकानेर में 5.625 एमएमटी साल्ट कैवर्न भंडारों के लिए डीएफआर तैयार करना :–

- ईआईएल को जुलाई 2024 में मौजूदा डीएफआर के पुनर्मूल्यांकन और 5.625 एमएमटी साल्ट कैवर्न भंडारों की बढ़ी हुई क्षमता के लिए उसमें संशोधन के लिए नियुक्त किया गया था। ईआईएल ने 9 जनवरी 2025 को मैसर्स डीईईपी, जर्मनी को बैकअप कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया है।
- मार्च 2025 में आईएसपीआरएल, ईआईएल और मैसर्स डीईईपी, जर्मनी की टीमों का एक संयुक्त स्थल दौरा किया गया।
- आईएसपीआरएल डीएफआर को शीघ्र पूरा करने के लिए ईआईएल के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(घ) मैंगलोर में आईएसपीआरएल के मौजूदा स्थल पर भू–स्थित कच्चे तेल भंडारण टैंकों के लिए पीएफआर तैयार करना :–

- ईआईएल को अगस्त 2024 में मैंगलोर में आईएसपीआरएल के मौजूदा स्थल पर यू.जी. कैवर्न्स के ऊपर उपलब्ध खाली स्थान पर भू–स्थित कच्चे तेल भंडारण टैंकों के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था।
- आईएसपीआरएल, पीएफआर को शीघ्र पूरा करने के लिए ईआईएल के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य में बीपीसीएल की बीना रिफ़ाइनरी के निकट भूमिगत खनन शैल गुफाओं/आरसीसी टैंकों के लिए पीएफआर की तैयारी :–

- ईआईएल को अक्टूबर 2024 में बीना रिफ़ाइनरी के निकट भूमिगत खनन शैल कैवर्न्स/आरसीसी टैंकों के निर्माण हेतु पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था।
- डेस्कटॉप अध्ययन पूरा करने के बाद, क्षेत्र सत्यापन हेतु जनवरी 2025 में आईएसपीआरएल और ईआईएल टीमों द्वारा बीना/झांसी और आसपास के संभावित स्थानों का संयुक्त स्थल दौरा किया गया।
- मसौदा पीएफआर 28.04.2025 को प्राप्त हुआ। परियोजना लागत अनुमान प्रतीक्षित हैं।
- ईआईएल ने तीन चयनित स्थानों पर आगे विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने की सिफारिश की है।

v) आईएसपीआरएल के मैंगलोर स्थल पर, तेल भंडारण और प्रबंधन के लिए 10.02.2018 को अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और एडनोक मार्केटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड (एएमआई इंडिया) के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 08.05.2025 तक वैध है।

पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि आईएसपीआरएल, हमेशा एएमआई इंडिया (एडनोक) में स्वामित्व हित बनाए रखेगा, जो 3,394.63 मीट्रिक टन (25,781 बैरल) तेल के डेड स्टॉक मात्रा के बराबर है। डेड स्टॉक का स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

एएमआई इंडिया (एडनोक) के साथ करार से संबंधित भंडारण हानि और प्रचालन हानि के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान करार के पक्षकारों द्वारा परिमाणीकरण के बाद किया जाएगा। वर्ष के दौरान किसी भी हानि का परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, श्री शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल की भारत यात्रा के दौरान, आईएसपीआरएल और एडनोक के बीच 07 सितंबर, 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य 08 मई 2025 को समाप्त होने वाली भंडारण और प्रबंधन समझौते को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत करना था। इसके अलावा, आईएसपीआरएल और एडनोक सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का आशय रखते हैं।

समझौते के अनुरूप, आईएसपीआरएल ने अधिक स्पष्टता के लिए मौजूदा करारों और साइड लेटर्स को शामिल करते हुए एक समेकित दस्तावेज़ तैयार किया। कानूनी जांच के बाद, इसे 30 अक्टूबर 2024 को एडनोक को भेजा गया। दोनों पक्षों की कानूनी टीमों के साथ कुछ दौर की चर्चा के बाद, एडनोक ने 27.03.2025 को समझौते का निष्पादन संस्करण प्रस्तुत किया। एडनोक के साथ उक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन के लिए एमओपीएनजी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था। एमओपीएनजी ने अपने मेल दिनांकित 14 मई 2025 को आईएसपीआरएल को आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव आईएसपीआरएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

vi) 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी का दैनिक कार्य विभिन्न तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर आए 14 कर्मियों और बोर्ड द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संभाला जाता है। इसके अलावा, कंपनी में ओआईडीबी वेतनमान पर आईएसपीआरएल के नियमित रोल पर 12 कर्मचारी हैं। आईएसपीआरएल के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

vii) चरण–II के लिए जनशक्ति व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ओ एंड एम अनुदान में प्रभारित किया गया है।

viii) विभिन्न अवस्थितियों पर रॉक के ब्यौरे :–

(क) पादुर :

- पादुर में रॉक मलबे की ई–नीलामी मिनरल स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) के माध्यम से आयोजित की गई। सफल बोलीदाता ने पादुर से 2 लाख मीट्रिक टन रॉक मलबा उठाने के लिए ₹106/मीट्रिक टन और 10 लाख मीट्रिक टन चट्टान मलबा उठाने के लिए ₹108/मीट्रिक टन की कीमत उद्धृत की है। इन निविदाओं में से, 31.03.2025 तक 1,34,126.95 मीट्रिक टन रॉक की बिक्री की जा चुकी है (अर्थात 31.03.2025 तक 85,582.85 मीट्रिक टन और चालू वर्ष के दौरान 48,544.10 मीट्रिक टन)।
- पादुर से रॉक हटाने पर रॉयल्टी का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा।
- कंपनी के फॉर्म 26 एएस में दर्शाए गए स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का भुगतान संविदाकार अर्थात रॉक के क्रेता (आईएसपीआरएल के पैन नंबर का उपयोग करके) द्वारा पादुर में खान एवं भूविज्ञान विभाग को भुगतान की गई रॉयल्टी राशि पर आयकर अधिकारियों को किया जा रहा है। आईएसपीआरएल द्वारा 26एएस के आधार पर टीसीएस क्रेडिट लिया जाता है और संविदाकार के नाम पर संबंधित देय राशि बनाई जाती है। आयकर अधिकारियों से टीसीएस रिफंड प्राप्त होने पर ही संविदाकार द्वारा किए गए दावे (यदि कोई हो) पर राशि वापस की जाएगी।
- 31 मार्च 2025 तक, लगभग ₹9,373.53 लाख मूल्य का लगभग 86,79,198.47 मीट्रिक टन रॉक मलबा पादुर स्थान पर पड़ा है।

(ख) मैंगलोर :

- मैंगलोर में रॉक के मलबे की बिक्री एमएसईजेडएल द्वारा की जाती है। एमएसईजेडएल के साथ दिनांक 22.03.2012 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, रॉक के मलबे की बिक्री से प्राप्त मूल्य को आईएसपीआरएल और एमएसईजेडएल द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। वर्ष के दौरान, मैंगलोर स्थित एमएसईजेडएल द्वारा रॉक की बिक्री की गई है और बिक्री से प्राप्त ₹2,17,42,201/– (पिछले वर्षः ₹22,28,272/–) का 50% आईएसपीआरएल के साथ साझा किया गया है।
- ठेकेदार के साथ एमएसईजेडएल के संविदा के अनुसार, चट्टान हटाने के कारण होने वाला कोई भी वैधानिक भुगतान (रॉयल्टी भुगतान सहित) संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा, यदि संविदाकार कोई वैधानिक भुगतान जमा करने में विफल रहता है, तो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अनुसार, उसकी देयता एमएसईजेडएल पर होगी और संविदाकार/एमएसईजेडएल द्वारा सीमा शुल्क के भुगतान में किसी भी चूक के कारण आईएसपीआरएल पर कोई देयता नहीं होगी। मैंगलोर एसईजेड क्षेत्र से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक रॉक हटाने पर सीमा शुल्क के भुगतान का मामला मुकदमेबाजी में है।
- कंपनी के फॉर्म 26एएस में दर्शाए गए स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का भुगतान संविदाकार अर्थात रॉक के क्रेता (आईएसपीआरएल के पैन नंबर का उपयोग करके) द्वारा मैंगलोर में खान एवं भूविज्ञान विभाग को भुगतान की गई रॉयल्टी राशि पर आयकर अधिकारियों को किया जा रहा है। टीसीएस का क्रेडिट आईएसपीआरएल द्वारा 26एएस के आधार पर लिया जाता है और संबंधित देय राशि एमएसईजेडएल के नाम से बनाई जाती है। आयकर अधिकारियों से टीसीएस की वापसी प्राप्त होने पर ही, यदि कोई हो, तो एमएसईजेडएल को उनके द्वारा किए गए दावे पर राशि वापस कर दी जाएगी।
- 31 मार्च 2025 तक, लगभग 1,87,05,17.05 मीट्रिक टन रॉक मलबा, जिसका वास्तविक मूल्य लगभग ₹1,112.96 लाख (केवल कंपनी का हिस्सा) है, मैंगलोर स्थान पर पड़ा है।

(ग) विशाखापत्तनम :–

- आईएसपीआरएल और विशाखापत्तनम बंदरगाह के न्यासी बोर्ड के बीच हुए पट्टा विलेख के खंड 17(क) के अनुसार, निर्माण अवधि के दौरान उत्खनित रॉक वीपीटी की संपत्ति है और आईएसपीआरएल का उत्खनित रॉक पर कोई अधिकार नहीं है।

ix) **व्यय का मिलान (टिप्पणी संख्या 26 एवं 29.1 के अनुसार)**

	₹ लाख में	
	2024-25	**2023-24**
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से दावा किया गया प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय (युसी के अनुसार)	11,057.80	14,341.38
घटाएँः– पिछले वर्ष में दर्ज किया गया लेकिन वर्ष के दौरान दावा किया गया ओ एंड एम व्यय	2,134.26	1,770.06
जोड़ेंः– वर्ष के दौरान दावा न किए गए अवधि के लिए दावा किए जाने वाले ओ एंड एम व्यय	2,773.45	2,139.35
घटाएँः– दावा किया गया अतिरिक्त ओ एंड एम व्यय/पूर्वदत्त व्यय (पिछले वर्ष का निवल)	(776.95)	461.70
घटाएँः– इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा प्रभार खाता	280.85	46.00
वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया व्यय (टिप्पणी संख्या 26 और 29.1) (अन्य व्यापक आय सहित)	12,193.10	14,202.97

x) आस्थगित कर

कर योग्य आय की अनुपस्थिति में, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर परिसंपत्ति को भी मान्य नहीं किया गया है क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को समायोजित किया जा सके।

xi) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए बकाया 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 273.23 लाख (पिछले वर्ष ₹ 346.95 लाख) के रूप में निर्धारित किया गया है, इस तरह के पक्षकारों को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संदर्भ में रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहचाना गया है'।

xii) वेंडरों/संविदाकारों/सेवा प्रदाताओं से देय/वसूली योग्य राशि पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन होगी।

xiii) सभी उपभोग्य सामग्रियों/भंडारों/स्पेयर पार्ट्स को खरीदारी के समय संचालन एवं अनुरक्षण व्यय में शामिल किया जाता है।

xiv) क. कंपनी ने वाणिज्यिक कर कार्यालय से केएसटी/सीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एसीसीटी, एलजीएसटीओ–260 (जीएसटी प्राधिकरण) के पक्ष में ₹ 0.50 लाख (पिछले वर्षः ₹ 0.50 लाख) का बीजी दिया है। बीजी कंपनी द्वारा गिरवी रखी गई ₹0.50 लाख की राशि के सापेक्ष दी गई थी।

ख. कंपनी ने पत्थर खदान संविदा से संबंधित वित्तीय आश्वासन के लिए उप निदेशक, डीएमजी, मैंगलोर के पक्ष में ₹1.45 (पिछले वर्षः ₹1.45 लाख) की एफडी गिरवी रखी है।

ग. आईएसपीआरएल द्वारा विकास आयुक्त, एमएसईजेड मैंगलोर को ₹10.080 लाख (पिछले वर्षः ₹10.080 लाख) की राशि का बांड–सह–कानूनी शपथपत्र दिया गया है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त छूट, वापसी, उपकर और रियायतों के लाभों के संबंध में है।

घ. कंपनी ने मैसर्स एसकेईसी–केसीटी जेवी बनाम आईएसपीआरएल के मामले में मध्यस्थता आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एवार्ड राशि के 50% (ब्याज सहित) के बराबर ₹6,072.94 लाख की बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत की है।

xv) (क) एमएसईजेडएल द्वारा आईएसपीआरएल को कुल 104.73 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) एसईजेड के अंतर्गत कार्य क्षेत्र के लिए 67.0134 एकड़ भूमि।

(ii) एसईजेड के अंतर्गत हरित पट्टी विकास के लिए 33.0066 एकड़ भूमि।

(iii) एसईजेड के बाहर बूस्टर पम्पिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 4.71 एकड़ भूमि।

ऊपर बताई गई कुल भूमि में से 33.0066 एकड़ भूमि एमएसईजेडएल द्वारा हरित पट्टी के विकास के लिए निःशुल्क सौंपी गई। हालांकि, आईएसपीआरएल को सौंपी गई कुल भूमि (अर्थात 104.73 एकड़) के लिए वार्षिक किराया देय है।

(ख) 30 एकड़ भूमि की सतह के नीचे भूमिगत रॉक कैवर्न (यूआरसी) तेल भंडारण सुविधा के निर्माण और अनुरक्षण के लिए लाइसेंस/अनुमति पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा ईएनसी और आईएसपीआरएल के बीच 01 मई, 2007 को हुए समझौता ज्ञापन के तहत 99 वर्ष की अवधि के लिए ₹1.00 प्रति वर्ष की टोकन राशि पर प्रदान की गई थी।

भूमि का स्वामित्व और अध्यावास तथा भूमि की सतह और हवाई अधिकार ईएनसी के पास ही रहेगा। भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित आईएसपीआरएल को नहीं दिया गया है।

xvi) कंपनी ने पादुर में 179.2 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है, जिसमें से 175.92 एकड़ भूमि आईएसपीआरएल के नाम पर पंजीकृत है। कंपनी शेष भूमि का पंजीकरण नहीं करा पा रही है क्योंकि यह वन भूमि है और कर्नाटक सरकार द्वारा इसके हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

xvii) लाभ और हानि का विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट) से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा और अन्य मदों पर किए गए व्यय से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

	₹ लाख में	
	2024-25	**2023-24**
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.48	2.09
प्रमाणन (जीएसटी सहित)	शून्य	शून्य
छिट–पुट व्यय	0.24	0.21
आंतरिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	0.22	0.23
अन्य सेवाएँ	0.35	1.07
सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	0.20	0.20

xviii)कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व विलेख -

तुलन–पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	परिसंपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	स्वामित्व/पट्टा विलेख किसके नाम पर है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति, किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

xix) **पीपीएंडई, अमूर्त परिसंपत्ति और निवेश परिसंपत्ति का मूल्यांकन –**
कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

xx) **बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण –**
वर्ष के दौरान कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं मिला है।

xxi) **पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) –**
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है

xxii) **विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां –**
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार विकासाधीन कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है

xxiii) **बेनामी परिसंपत्ति का ब्यौरा –**
बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कंपनी के सापेक्ष कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

xxiv) **चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण और अग्रिम –**
31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं हैं।

xxv) **इरादतन चूककर्ता–**
कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

xxvi) **कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रभारों का पंजीकरण या समाधान –**
ऐसे कोई भी प्रभार या समाधान नहीं हैं जिन्हें सांविधिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना बाकी हो।

xxvii) कंपनियों के विभिन्न स्तरों का अनुपालन –

कंपनी ओआईडीबी की 100% सहायक कंपनी है और इसके अलावा कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अनुपालन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xxviii) व्यवस्था की अनुमोदित योजना(ओं) का अनुपालन –

कंपनी ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की है जिसका चालू या पिछले वित्तीय वर्ष पर लेखांकन प्रभाव हो।

xxix) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग –

क. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस आशय से अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

- क. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या
- ख. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करेगा।

ख. कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्षकार) शामिल हैं, इस आशय (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) से कोई निधि प्राप्त नहीं की है कि कंपनी :

- क. वित्तपोषण पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा, या
- ख. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करेगा।

xxx) अघोषित आय –

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में चालू या पिछले वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई कोई भी आय नहीं है, जिसे लेखा बहियों में दर्ज नहीं किया गया है।

xxxi) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) –

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी सीएसआर व्यय नहीं किया है, क्योंकि नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक नहीं था।

xxxii) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण –

कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

xxxiii) ऋण या अग्रिम राशि, ऋण के स्वरूप में, प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है, जो कि :

मांग पर या चुकौती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकौती योग्य है :

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	शून्य
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
संबंधित पक्षकार	शून्य	शून्य

xxxiv) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण –

₹ लाख में

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि	हटाई गई कंपनी के साथ यदि कोई संबंध है तो उसका प्रकटीकरण किया जाना चाहिए
	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	प्राप्तियों	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	देय	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अटकी हुई कंपनी द्वारा रखे गए शेयर	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	शून्य	लागू नहीं

xxxv) वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	% विचरण	कारण
(क)	चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.34	0.58	-42.50%	पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2025 तक "अन्य वित्तीय परिसंपत्ति" में पर्याप्त कमी के कारण।हुई है।
(ख)	ऋण–इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	शून्य	शून्य	0.00%	
(ग)	ऋण चुकौती कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय	ऋण चुकौती	शून्य	शून्य	0.00%	
(घ)	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) अनुपात (% में)	कर पश्चात् निवल लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	-1.62%	-2.85%	-42.98%	"वर्ष के दौरान शुद्ध हानि" में कमी आई है, क्योंकि पिछले वर्ष लगभग 2.5 महीने की तुलना में पूरे वर्ष के लिए किराये/पट्टे से आय अर्जित की गई है।
(ङ)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	शून्य	शून्य	0.00%	
(च)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत खाता प्राप्य	144.35	30.11	379.37%	31/03/2025 को खाता प्राप्य का मूल्य 31/03/2024 की तुलना में कम होने तथा वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पट्टे/किराये की आय अधिक होने के कारण।
(छ)	व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देयताएं	4.96	7.01	-29.28%	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान "संचालन और अनुरक्षण व्यय" में कमी और औसत व्यापार देयताओं में वृद्धि के कारण।
(ज)	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	-0.15	-0.04	251.34%	पिछले वर्ष के लगभग 2.5 महीने की तुलना में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए किराये / पट्टे की आय के माध्यम से कमाई में वृद्धि हुई है।
(झ)	निवल लाभ अनुपात (% में)	कर पश्चात् निवल लाभ	निवल बिक्री	-98.29%	-846.58%	-88.39%	पिछले वर्ष के लगभग 2.5 महीने की तुलना में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए किराये / पट्टे की आय के माध्यम से कमाई में वृद्धि हुई है।
(ञ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	ब्याज और कर पूर्व अर्जन	नियोजित पूंजी	-1.64%	-2.89%	-43.32%	वर्ष के दौरान निवल हानि में कमी आई है, क्योंकि पिछले वर्ष के लगभग 2.5 माह की तुलना में पूरे वित्तीय वर्ष के लिए किराये/पट्टे से आय अर्जित की गई है।
(ट)	निवेश पर प्रतिलाभ (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	औसत निवेशित निधियां	16.59%	3.92%	323.64%	ओआईडीबी से प्राप्त अस्थायी अग्रिम पर अर्जित ब्याज की प्रमुख राशि और दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ एफडी पर अर्जित ब्याज, जिसे वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान समाप्त कर दिया जाएगा।

टिप्पणी 1: उपरोक्त अनुपातों का प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक किया गया है, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा प्रचालनों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से संचालन कर रही है।

xxxvi) परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता –

इंड एएस 36 "परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्तता" के अनुपालन में, कंपनी ने कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, के संकेत के लिए वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों की समीक्षा की है। चूंकि क्षतिग्रस्तता का कोई संकेत नहीं है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई क्षतिग्रस्तता हानि नहीं देखी गई है।

xxxvii) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूले जाने पर, तुलन–पत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

xxxviii) कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके कारण कोई भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि हो सकती है।

xxxix) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

xl) पुरानी बयाना राशि जमा, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और अन्य अदावाकृत देयताओं के लेखांकन उपचार को 21 जनवरी 2025 को आयोजित 95वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और तदनुसार वर्ष के दौरान ₹ 9.74 लाख को "अन्य आय" में अंतरित कर दिया गया है।

xli) कंपनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से ₹ 5000.46 लाख की राशि एचसीसी मध्यस्थता मामले, पादुर के मामले में मध्यस्थता निर्णय के सापेक्ष दायर अपील के लिए रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पास अग्रिम जमा के रूप में जमा कर दी है। यह राशि चरण I के व्यावसायीकरण से आईएसपीआरएल की आय से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस की जानी थी।

माननीय उच्च न्यायालय ने आईएसपीआरएल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और आईएसपीआरएल के विरुद्ध दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, मैसर्स एचसीसी द्वारा दायर अपील निष्फल हो गई और उसका निपटारा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, महापंजीयक, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पास जमा राशि ब्याज सहित आईएसपीआरएल को जारी कर दी गई है और वर्ष के दौरान उसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को वापस कर दिया गया है।

xlii) हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) बनाम आईएसपीआरएल मामले में मध्यस्थता निर्णय 26 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में मध्यस्थ द्वारा दिया गया। कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय स्वीकार कर लिया है। एचसीसी ने मध्यस्थता निर्णय को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ओएमपी (कॉम) संख्या–365/2022 के तहत चुनौती दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संचालन एवं रखरखाव अनुदान प्राप्त होने के बाद, 1887.04 लाख रुपये की राशि (ब्याज सहित) दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक के पास जमा कर दी गई है। वर्तमान में मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

xliii) कंपनी को दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनांक 22.05.2024 का निर्णय प्राप्त हो गया है। यह निर्णय कंपनी द्वारा कर्नाटक के मैंगलोर और पादुर में कच्चे तेल के भंडारण हेतु सिविल भूमिगत रॉक कैवर्न के अनुबंध हेतु मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम के मध्यस्थता पंचाट मामलों के विरुद्ध दायर किया गया था। आदेश के अनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाटों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है।

आईएसपीआरएल ने उक्त आदेश के विरुद्ध 29 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर की है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के आदेश के अनुसार, आईएसपीआरएल ने 50% राशि (22.08.2024 तक की गणना के साथ) ₹ 6,072.94 लाख माननीय उच्च न्यायालय में जमा कर दी है और एवार्ड राशि के 50% के बराबर ₹ 6,072.95 लाख बैंक गारंटी (बीजी) जमा कर दी है।

xliv) एमओपीएनजी के निर्देशानुसार, ओआईडीबी ने आईएसपीआरएल मैंगलोर और पादुर में भूमिगत कार्य के लिए एसकेईसी केसीटी जेवी द्वारा दायर मध्यस्थता मामले के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मध्यस्थता पुरस्कार के निपटान के लिए आईएसपीआरएल को अस्थायी अग्रिम के रूप में ₹ 12,145.89 लाख जारी किए हैं। आईएसपीआरएल ने इसका उपयोग आशयित उद्देश्य के लिए किया है।

xlv) कंपनी ने विभिन्न परिसंपत्तियों, जैसे कि पादुर, मैंगलोर और मुख्यालय स्थित वाहन और मैंगलोर स्थित आईटीबीपी के लिए आवास को पट्टे पर लिया है। इंडएएस 116 के अनुसार, चूंकि संविदा 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए है, इसलिए इसे वित्तीय विवरण में उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों के रूप में संबंधित पट्टा देयता के साथ दर्ज किया गया है। साथ ही, इंडएएस 116 के साथ पठित इंडएएस 109 के अनुसार, निश्चित अवधि के लिए जमा की गई वापसी योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति का उचित मूल्य निर्धारित किया गया है और अंतर राशि को आरओयू के रूप में दर्शाया गया है।

चूंकि ऊपर उल्लिखित सभी करार/संविदा इंडएएस 8 के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 (अर्थात वित्त वर्ष 2021–22 से आगे) से पहले की अवधि के लिए हैं, इसलिए वर्ष के दौरान प्रत्येक मद के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित और अधिशेष में ₹74.09 लाख की कमी आई है और इसे "लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ" के रूप में दर्शाया गया है (नोट देखें) 14).

पूर्व अवधि की त्रुटि का लाइन–आइटम–वार प्रभाव इस प्रकार है :–

- उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति में वृद्धि – ₹ 909.63 लाख
- पट्टा देयता में वृद्धि – ₹ 617.79 लाख

- सुरक्षा जमा में कमी – ₹ 3.24 लाख
- संचित मूल्यह्रास में वृद्धि – ₹ 362.69 लाख
- आरक्षित एवं अधिशेष में कमी – ₹ 74.09 लाख

इसके परिणामस्वरूप प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और तनुकृत दोनों में ₹ 0.0019 की कमी आई है।

xlvi) कंपनी ने इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पिछले वर्षों की पूर्व अवधि की मदों के समायोजन/सुधार के लिए समग्र आधार पर ₹15 करोड़ की सीमा तय की है।

xlvii) कंपनी की स्थिति को पब्लिक लिमिटेड और सरकारी कंपनी से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी और तेल उद्योग विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए कंपनी के संगम–ज्ञापन (एओए) में संशोधन को 24.09.2024 को आयोजित 20वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

xlviii) लाभ और हानि विवरण की टिप्पणी संख्या 29.1 में दर्शाए गए ओ एंड एम व्यय में ₹ 4.20 करोड़ का माल और सेवा कर (जीएसटी) शामिल है (पिछले वर्षः ₹ 5.32 करोड़), जिसके लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) और कर्नाटक (पादुर) राज्यों के लिए आईटीसी का लाभ उठाया गया है। इसके अलावा, चूंकि प्राप्त ओ एंड एम अनुदान में से, किए गए ओ एंड एम व्यय (टिप्पणी 29.1 में) के बराबर राशि को टिप्पणी संख्या 25 के तहत लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में लिया गया है, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त आईटीसी की राशि ₹ 4.20 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 5.32 करोड़) शामिल है, जिसमें टिप्पणी संख्या 23 में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत भारत सरकार को देय के रूप में एक संगत क्रेडिट है, लाभ और हानि विवरण पर इसका निवल प्रभाव शून्य (पिछले वर्षः शून्य) है।

xlix) वर्ष के अंत में अबिलीकृत राजस्व पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की देयता का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, इस उपार्जित अबिलीकृत राजस्व पर जीएसटी की देयता बिलिंग के समय ही देय हो जाती है (अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में)। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में जीएसटी के इस गैर प्रावधान का वर्ष के लाभ/हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह के उपार्जित अबिलीकृत राजस्व का उसी वर्ष में विधिवत लेखांकन किया गया है।

l) क. बाला गांव (चेनेज 2 किमी) के पास भूस्खलन के कारण आईएसपीआरएल के आरओयू क्षेत्र में लगभग 100 मीटर लंबाई में 42" कच्ची पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था, जिसके लिए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक एहतियाती कार्रवाई की गई थी। घटना की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 07 जुलाई 2023 को दे दी गई है। आपातकालीन एहतियाती कार्रवाई के लिए ₹ 6.45 करोड़ (लगभग) के व्यय की सूचना बीमा गारंटीकर्ता को 27 जून, 2024 के ई–मेल के माध्यम से दी गई है। अंतिम दावा रिपोर्ट बीमा सर्वेक्षक द्वारा बीमा कंपनी को प्रस्तुत की जानी है।

ख. बाला (चेनज 2) के पास उपरोक्त बहाल आरओयू (42" पाइपलाइन) क्षेत्र 27 जून, 2024 की सुबह भारी बारिश के कारण फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 01 जुलाई, 2024 को दे दी गई है। जीर्णोद्धार कार्य पर अनुमानित व्यय लगभग ₹ 9.8 करोड़ होगा।"

li) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा आंकड़ों को लाख के निकटतम पूर्णांक में रखा गया है।

lii) इन वित्तीय विवरणों को 21 जुलाई, 2025 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

आर एन माड़वाह एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : : 001211N/N500019

हस्ता./-
(ईशा श्रीवास्तव)
निदेशक
डीआईएन : 08504560

हस्ता./-
(लखपत राय जैन)
मु.का.अ. एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08505199

हस्ता./-
(मनोज गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 096776

हस्ता./-
(दीपक कुमार)
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता./-
(शिल्पी मोहंती)
कंपनी सचिव
ACS-19333

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2025

टिप्पणी संख्या 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

1. कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को 16 जून, 2004 को आईओसीएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। कंपनी की सम्पूर्ण शेयरधारिता 9 मई, 2006 को तेल उद्योग विकास बोर्ड ("ओआईडीबी") और उसके नामितों द्वारा अपने अधीन ले ली गई।

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (कंपनी), ओआईडीबी की एक असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तृतीय तल, बाबर रोड, नई दिल्ली –110001 में स्थित है और प्रचालनात्मक/कार्यात्मक कार्यालय – ओआईडीबी भवन, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर – 73, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. भारत सरकार के कच्चे तेल के मुख्य महत्वपूर्ण सॉवरेन रिजर्व या भारत सरकार द्वारा तय किए गए किसी अन्य निकाय के कच्चे तेल का भंडारण करना, जो निम्नलिखित के अध्यधीन और अनुपालन में होगा :

   कैवर्न्स से कच्चे तेल के महत्वपूर्ण प्रमुख भंडारों को निकालना और उनकी पुनःपूर्ति सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से की जाएगी। बशर्ते कि भारत सरकार के कच्चे तेल के महत्वपूर्ण प्रमुख भंडारों को गुणवत्ता की आवश्यकता या मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कच्चे तेल के संचलन के लिए भी निकाला जा सकता है।

2. भारतीय या विदेशी कंपनियों को कैवर्न्स की कुल तेल भंडारण क्षमता का 30% पट्टे/किराए पर देना, इस शर्त के साथ कि किसी भी आपात स्थिति में, कैवर्न्स में संग्रहीत पूरे कच्चे तेल पर पहला अधिकार भारत सरकार का होगा।

3. कैवर्न्स की कुल तेल भंडारण क्षमता का 20% भारतीय कंपनियों को विक्रय करना/खरीदना।

4. भंडारण, हैंडलिंग, शोधन, ढुलाई, परिवहन, प्रेषण, आपूर्ति, बाजार, अनुसंधान, सलाह, परामर्श, सेवा प्रदाता, दलाल और अभिकर्ता, इंजीनियरिंग और सिविल डिजाइनर, संविदा व्हारफिंगर, गोदामपाल, उत्पादक, तेल और तेल उत्पादों, गैस और गैस उत्पादों, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों, ईंधन, स्प्रिट, रसायन, सभी प्रकार के तरल और उनके यौगिक, डेरिवेटिव, मिश्रण, तैयार और उत्पादों के डीलरों का व्यवसाय करना।

1क: महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए ऐतिहासिक लागत आधार अपनाया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर संबंधित लेनदेन की तारीख पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

लेखांकन नीतियों को सतत रूप से लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के, जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, सभी मूल्यों को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

सॉवरेन क्रूड ऑयल के लिए इंड एस 115 के अनुप्रयोग के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय;

कंपनी भारत सरकार की ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल खरीद रही है, उसका भंडारण कर रही है और उसकी बिक्री कर रही है। खरीदार को हस्तांतरित किए जाने से पहले कंपनी के पास क्रूड ऑयल पर स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है और कंपनी

भारतीय लेखांकन मानक 115 के तहत लेखांकन के उद्देश्य से सॉवरेन क्रूड ऑयल के संबंध में केवल अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, न कि प्रधान के रूप में और कंपनी का प्रदर्शन दायित्व भारत सरकार की ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल की खरीद, भंडारण और बिक्री का प्रबंधन करना है, न कि अपनी ओर से सॉवरेन क्रूड ऑयल खरीदना, भंडारण करना और विक्रय करना।

तदनुसार, कंपनी द्वारा अपने लेखाओं में सॉवरेन क्रूड ऑयल को "इन्वेंट्री" के रूप में मान्य नहीं किया गया है और सॉवरेन क्रूड ऑयल की बिक्री को कंपनी के लाभ और हानि विवरण में राजस्व के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, कंपनी अपने लाभ और हानि विवरण में सॉवरेन क्रूड ऑयल की खरीद/बिक्री की वस्तुओं की लागत को मान्य नहीं कर रही है और कंपनी के कैवर्न में खरीदे गए, बेचे गए और संग्रहीत सॉवरेन क्रूड ऑयल की मात्रा का प्रकटीकरण केवल टिप्पणी संख्या 40 (ii) में लेखा संबंधी टिप्पणियों में दिया गया है।

1.2 चालू और गैर–चालू संबंधी वर्गीकरण –

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब :–

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- यह नकदी या नकदी समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह तक विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया गया हो।

कंपनी अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

देयता तब चालू–देयता होती है जब :

- इसके सामान्य प्रचालन चक्र में निपटाए जाने की उम्मीद हो;
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाया जाना हो; या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई शर्तरहित अधिकार न हो। कंपनी अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू देयता के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर–चालू परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र, प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी एवं नकदी समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है।

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू और गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपना सामान्य प्रचालन चक्र बारह माह निर्धारित किया है।

1.3 राजस्व को मान्य करना

राजस्व का मापन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल का नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है या ग्राहक को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो उस राशि को दर्शाती है, जिसकी कंपनी उन माल या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो कि ग्राहकों के साथ संविदा के अनुसार छूट, प्रोत्साहन योजनाओं, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया गया प्रतिफल होता है। सरकार की ओर से ग्राहकों से एकत्र किए गए करों को राजस्व नहीं माना जाता है।

उत्पादों की बिक्री

उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण, आम तौर पर उत्पादों की डिलीवरी पर ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है। कंपनी इस बात पर विचार करती है कि क्या संविदा में ऐसे अन्य वादे हैं जो

अलग–अलग प्रदर्शन दायित्व हैं जिनके लिए लेनदेन मूल्य का एक हिस्सा आवंटित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, माल ढुलाई और प्रोत्साहन योजनाएँ)। उत्पादों की बिक्री के लिए लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में, कंपनी परिवर्तनशील प्रतिफल और ग्राहक को देय प्रतिफल (यदि कोई हो) के प्रभावों पर विचार करती है।

सीआईएफ (लागत बीमा भाड़ा) संविदाओं के लिए, राजस्व तब मान्य किया जाता है जब माल अंतिम गंतव्य पर पहुंच जाता है। एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) संविदाओं के लिए, राजस्व तब मान्य किया जाता है जब कंपनी माल को एक स्वतंत्र वाहक को सौंपती है।

प्रचालन सेवाओं से राजस्व

प्रचालन सेवाओं से राजस्व को वादा की गई सेवाओं के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि पर मान्य किया जाता है, जो उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी को उन सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है, जिनमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियाँ शामिल नहीं हैं (उदाहरण के लिए सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर और शुल्क)। आम तौर पर निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि पर विचार किया जाता है और प्राप्य को तब मान्य किया जाता है जब यह शर्तरहित हो जाता है।

कैवर्न्स से प्राप्त पट्टे/किराये की आय को उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य अर्जन

लाभांश, अन्य आय और बीमा दावों सहित अन्य दावों का लेखांकन तब किया जाता है जब अंतिम वसूली की लगभग निश्चितता हो।

ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उपार्जन आधार पर मान्य किया जाता है।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति :

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में अधिग्रहण की लागत और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके इच्छित उपयोग के लिए प्रचालन स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत शामिल है।

ii) अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि परिसंपत्ति से होने वाला भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन घटाकर दर्शाया जाता है।

iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर :

पूंजीगत कार्य–प्रगति पर लागत पर मान्य किया जाता है। राजस्व व्यय विशेष रूप से परियोजनाओं के लिए प्रभार्य होता है और निर्माण अवधि के दौरान किए गए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

1.5 मूल्यह्रास / परिशोधन

i) मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी–अवधि के अनुसार ऋजु रेखा पद्धति पर किया जाता है, भूमिगत कैवर्न्स को छोड़कर जिसकी उपयोगी–अवधि स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर 60 वर्ष मानी गई है।

ii) ₹5,000/– तक की व्यक्तिगत लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूंजीकृत नहीं किया जा रहा है और अधिग्रहण के वर्ष में राजस्व व्यय/ओ एंड एम व्यय का प्रत्यक्ष हिस्सा बनती है।

iii) अनिश्चित उपयोगी–अवधि वाली उपयोग के अधिकार (आरओयू) का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन नकदी–उत्पादक इकाई स्तर पर हर वर्ष हानि के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। अनिश्चित उपयोगी–अवधि के मूल्यांकन की हर वर्ष समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अनिश्चित उपयोगी–अवधि निरंतर समर्थनीय है या नहीं। यदि नहीं, तो अनिश्चित से परिमित तक उपयोगी–अवधि में परिवर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

iv) निश्चित उपयोगी–अवधि के साथ उपयोग का अधिकार (आरओयू) पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

1.6 परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

प्रबंधन समय–समय पर बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करके यह आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षतिग्रस्तता तब होती है जब वहन मूल्य परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने वाले भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से अधिक होता है। क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ और हानि के विवरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जिसे कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो कि धनराशि के समय मूल्य और परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन

i) कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ii) विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को प्रारंभ में लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्राओं की समापन विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iv) गैर–मौद्रिक मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापा जाता है, उन्हें लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

v) संपरिवर्तन या निपटान के समय विनिमय दरों में अंतर के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में लेखांकित किया जाता है।

1.8 वित्तीय लिखत

i) वित्तीय परिसंपत्तियां

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

ii) वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

iii) विमान्य करना

वित्तीय परिसंपत्ति तब विमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, या वित्तीय परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर और ऐसे हस्तांतरण विमान्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं। वित्तीय देयता को तब विमान्य किया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का उन्मोचन कर दिया जाता है या यह समाप्त हो जाता है।

1.9 आय पर कर

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को विवेकपूर्ण प्रतिफल के अध्यधीन समय–अंतर के भावी कर परिणामों के लिए मान्य जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके सापेक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

1.10 अनुदान

सरकारी अनुदान को तब मान्य किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा तथा सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

आय से संबंधित अनुदान (राजस्व अनुदान)

राजस्व अनुदान को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्य किया

जाता है जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्य करती है, जिसके लिए अनुदानों का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान (पूंजी अनुदान)

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" और उस अनुपात, जिसमें मूल्यह्रास/परिशोधन लगाया जाता है, के रूप में मान्य किया जाता है।

गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर लाभ या हानि के विवरण में उस अवधि के दौरान "अन्य आय" के रूप में मान्य किया जाता है, जो अनुदान की शर्तों, जैसे कि पूंजी अनुदान से प्राप्त भूमि पर बनाई गई कैवर्न्स के उपयोगी–अवधि के दौरान, के तहत दायित्वों को पूरा करने की लागत को वहन करती है।

शेयरधारकों से अनुदान

शेयरधारकों से प्राप्त राजस्व अनुदान को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्य किया जाता है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्य करती है, जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का आशय होता है।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों और पट्टे पर भूमि से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में मान्य किया जाता है, जिसे आमतौर पर अवधि के दौरान लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" और उस अनुपात, जिसमें मूल्यह्रास/परिशोधन लगाया जाता है, के रूप में मान्य किया जाता है।

गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दर्शाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आमतौर पर लाभ या हानि के विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्य किया जाता है, जो अनुदान की शर्तों के तहत दायित्वों को पूरा करने की लागत वहन करती है।

अन्य अनुदान

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए वित्तीय सहायता या तो पूंजी अनुदान या प्रचालन राजस्व अनुदान के रूप में हो सकती है, जो परियोजना के वित्तीय समर्थन के लिए योजना पर निर्भर करता है। वीजीएफ को योजना के अनुसार लेखा बहियों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्य किया जाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है।

किसी भी ब्याज छूट योजना के तहत मिलने वाला लाभ पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय के लिए ऋण हो सकता है। इसे निधि के उपयोग के अनुसार लेखा बहियों में राजस्व या पूंजी के रूप में मान्य किया जाएगा।

1.11 पट्टे

भारतीय लेखांकन मानक 116 के अनुसार पट्टेदारों को पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करना होता है, जिसे पट्टे का विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी पट्टा–दर–पट्टा आधार पर अपेक्षित पट्टे की अवधि का आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि संविदा विस्तार करने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। भावी अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

क) कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्य करती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान में कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस स्थान पर वह स्थित है उसे पुनर्स्थापित करने की लागत के अनुमान के जोड़कर और प्राप्त किए गए किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा कर समायोजित किया जाता है।

ख) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास ऋजु रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की उपयोगी–अवधि की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी–अवधि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समतुल्य ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को समय–समय पर क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, द्वारा कम किया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) पट्टा देयता को शुरू में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो आरंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, पट्टा में निहित ब्याज दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

घ) पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं :

- निश्चित भुगतान, जिसमें सारभूत निश्चित भुगतान भी शामिल है;
- परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, जिन्हें प्रारंभ तिथि के सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है;
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ; और
- क्रय विकल्प के तहत प्रयोग मूल्य, जिसका प्रयोग करने के लिए कंपनी यथोचित रूप से निश्चित है, वैकल्पिक नवीकरण अवधि में पट्टा भुगतान, यदि कंपनी विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, तथा पट्टे की समयपूर्व समाप्ति के लिए शास्ति, जब तक कि कंपनी समयपूर्व समाप्ति न करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित न हो।

ङ) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसके बाद इसे फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टा भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

च) जब पट्टा देयता को इस तरीके से पुनः मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने 12 माह तक की पट्टा अवधि वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है। कंपनी पट्टे की अवधि पर एक ऋजु–रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में इन पट्टों से जुड़े पट्टे भुगतान को मान्य करती देती है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

जिन पट्टों के लिए कंपनी पट्टादाता है, उन्हें इंड एएस के अनुसार वित्त या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा के लिए, किराये की आय को पट्टा की सहमत शर्तों के अनुसार मान्य किया जाता है। एक पट्टादाता शुरू में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और पट्टादाता को मिलने वाले किसी भी अगारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य पर एक वित्त पट्टा प्राप्य को मापता है। पट्टादाता इन राशियों को पट्टा में निहित दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट देता है। आम तौर पर, कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करती है।

1.12 कर्मचारी हितलाभ

- **अल्पकालिक दायित्व**

वेतन और मजदूरी के लिए देयताएं, जिनमें गैर–मौद्रिक लाभ भी शामिल हैं, जिनका भुगतान उस अवधि के अंत के बाद प्रचालन चक्र के भीतर किया जाना अपेक्षित है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें उस अवधि में मान्य

किया जाता है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तथा उनका भुगतान किए जाने की अपेक्षित छूट रहित राशि पर मापन किया जाता है।

- **परिभाषित अंशदान योजनाएँ**

  वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) कोष में कंपनी द्वारा भुगतान/देय अंशदान को 'ओ एंड एम व्यय' के अंतर्गत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया गया है।

- **परिभाषित हितलाभ योजनाएँ**

  ग्रेच्युटी के संबंध में मान्य दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है। बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (निवल ब्याज को छोड़कर) को शामिल करते हुए पुनर्मापन को 'ओ एंड एम व्यय' के तहत भारत सरकार/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य/वसूल किए गए संचालन और अनुरक्षण व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

- **छुट्टी नकदीकरण और क्षतिपूरित अनुपस्थिति**

  छुट्टी नकदीकरण और क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयताएं, जिन्हें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के अंत के बाद प्रचालन चक्र के भीतर पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद न है, को वार्षिक रूप से एक्चुअरी द्वारा अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किए जाने की उम्मीद होती है। बीमांकिक लाभ और हानि को भारत सरकार / पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वसूली योग्य / वसूल किए गए संचालन और अनुरक्षण व्यय, जब भी किए जाते हैं, के रूप में मान्य किया जाता है।

1.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

कंपनी प्रावधान को तब मान्य करती है जब विगत घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और इस बात की अधिक संभावना होती है कि ऐसे दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह होगा और ऐसे दायित्व की राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और वर्ष के अंत में दायित्व की राशि के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है जो विगत घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल भावी घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ऐसे वर्तमान दायित्वों के लिए भी किया जाता है जिनके संबंध में यह संभावना नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जहां संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रकटीकरण या प्रावधान नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है तथा उनका प्रकटीकरण तब किया जाता है, जहां आर्थिक लाभ के प्राप्त होने की संभावित होती है।

1.14 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के निवल लाभ या हानि को, उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या को सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाएगा।

1.15 इन्वेंटरी

कच्चे तेल की इन्वेंट्री का मूल्यांकन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर निर्धारित लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। लागत में खरीद की सभी लागतें, संपरिवर्तन की लागत और इन्वेंट्री को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में वहन की जाने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

1.16 मुख्यालय व्यय आबंटन

मुख्यालय के व्यय को सभी चालू यूनिटों/साइटों के बीच समान रूप से आबंटित किया जाता है।

1ख: भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) में हालिया संशोधन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित करता है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, एमसीए ने अधिसूचना सा.का.नि. 492(E) दिनांक 12 अगस्त 2024, अधिसूचना सा.का.नि. 554(E) दिनांक 9 सितंबर 2024 और अधिसूचना सा.का.नि. 602(E) दिनांक 28 सितंबर 2024 के माध्यम से नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन अधिसूचित किए हैं।

इन अधिसूचित परिवर्धन या संशोधनों का 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Visit of Vice Admiral Rajesh Pendharkar at ISPRL, Visakhapatnam

National Security Guard (NSG) team conducted counter - terrorism drill at ISPRL, Padur

आईएसपीआरएल
ISPRL

इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड

(ओ.आई.डी.बी. की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधान कार्यालय : ओ.आई.डी.बी. भवन, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नौएडा–201301 (उ. प्र.)
पंजीकृत कार्यालय : 301 वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली–110001

Indian Strategic Petroleum Reserves Limited

(A wholly owned subsidiary of OIDB)
Ministry of Petroleum & Natural Gas, Govt. of India
Head Office: OIDB Bhawan, 3rd Floor, Plot No. 2, Sector-73, Noida-201301 (U.P.)
Registered Office: 301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi-110001